केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
नियम, 2001

	विषय	पृष्ठ क्र.

अध्याय 1 : प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ 35
2. परिभाषाएँ 35

अध्याय 2 : बल की संरचना

3. बल का गठन 37
4. बल की संरचना 37
5. स्थानीय रैंक का प्रदान किया जाना 41
6. महानिदेशक के कर्त्तव्य 41
7. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सेक्टर महानिरीक्षक के कर्त्तव्य 43
8. उप महानिरीक्षक के कर्त्तव्य 45
9. प्रबंध निदेशक और महाप्रबंधक के कर्त्तव्य 47
10. कमांडेंट के कर्त्तव्य 47
11. उप कमांडेंट के कर्त्तव्य 47
12. सहायक कमांडेंट के कर्त्तव्य 49
12क. 49

अध्याय 3 : गिरफ्तारी, तलाशी आदि की प्रक्रिया

13. गिरफ्तारी 49
14. तलाशी 51
15. विहित रैंक 51

अध्याय 4 : बल में भर्ती

16. नियुक्ति की शक्तियाँ 51
17. बल में नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्तें 51
18. निरर्हता 53

अध्याय 5 : सीधी भर्ती

19. पदों का नाम, उनका वर्गीकरण और वेतनमान 53
20. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएँ 53
21. करार 53
22. काडर 53

अध्याय 6 : प्रतिनियुक्ति

23. 53

अध्याय 7 : प्रोन्नति

24. प्रोन्नति 55
25. परिवीक्षा 55
26. समाप्ति 57

अध्याय 8 : विशेष उपबंध

27. व्यक्तियों के कतिपय प्रवर्गों के लिए विशेष उपबंध 57
28. शिथिल करने की शक्ति 59

Scanned by CamScanner

विषय		पृष्ठ क्र.

अध्याय 9 : सेवा की शर्तें और आचरण

29. निर्देशिकाएँ 59
30. सत्यनिष्ठा का प्रतिज्ञान 59

अध्याय 10 : शास्तियाँ और प्रक्रिया

31. अनुशासन शासित करने वाले नियम 59
32. अनुशासनिक प्राधिकारी 59
33. निलंबन 61
34. शास्तियों की प्रकृति 65
35. क्षुद्र दण्ड 71
36. बड़ी शास्तियों को अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया 71
37. छोटी शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया 87
38. क्षुद्र दण्ड अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया89
39. कतिपय मामलों में विशेष प्रक्रिया 89
40. राज्य सरकारें आदि से लिए गए भर्ती किए गए बल-सदस्यों में उपबंध 89
41. राज्य सरकार आदि को उधार दिए गए भर्ती किए गए बल-सदस्य के संबंध में उपबंध 91
42. रैंक आदि में अवनति 93
43. वेतन वृद्धि का रोका जाना 93

अध्याय 11 : अपील, पुनरीक्षण और आवेदन

44. निलंबन के आदेश के विरुद्ध अपील 95
45. आदेश जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी 95
46. शास्तियाँ अधिरोपित करने के आदेश के विरुद्ध अपील 95
47. अपील के लिए परिसीमा की अवधि 97
48. अपील का प्ररूप और अंतरवस्तु 97
49. अपील का पेश किया जाना 97
50. अपीलों का रोका जाना 97
51. अपील का पारेषण 99
52. अपील का विचारण 99
53. अपील में के आदेशों का परिपालन 101
54. पुनरीक्षण 101
55. अकार्य दिन 103
56. याचिकाएँ 103
57. अन्य उपायों (तरीकों) पर रोक 105

अध्याय 12 : प्रकीर्ण

58. त्याग-पत्र 105
59. सेवोन्मुक्त प्रमाण-पत्र 105
60. नियुक्ति प्रमाण पत्र का अभ्यर्पण 105
61. निःशुल्क आवास सुविधा 107

[illegible] 107

[illegible] 107

Scanned by CamScanner

विषय	पृष्ठ क्र.

64. छुट्टी से पुन: बुलाना 109
65. मुफ्त छुट्टी पास और छुट्टी यात्रा रियायत 109
66. धनीय इनाम प्रदान करने की शक्ति 111
67. धनीय इनाम के लिए पात्रता 111
68. धनीय इनाम प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी 113
69. औद्योगिक उपक्रमों के प्रबंध निदेशक द्वारा प्रस्थापित धनीय इनाम 115
70. ''पद'' की जोखिम/''पद'' विशेष जोखिम के कारण होने वाले फायदे 115
71. अधिवर्षिता आदि 115
72. स्थानान्तरण 115
73. प्रभारों का संदाय 115
74. कतिपय मामलों में नियमों का लागू न किया जाना 117
75. महानिदेशक की कमेंडेशन डिस्क की अवार्ड 117
76. अनुसचिवीय कर्मचारिवृन्द 119
77. सेवा की अन्य शर्तें 119

अध्याय 13 : भर्ती किए गए बल-सदस्य द्वारा किए गए किसी अपराध और इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों की जाँच या विचारण के प्रयोजन के लिए मजिस्ट्रेट की शक्ति

78. मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ 119
79. न्यायिक विचारण 121
80. मजिस्ट्रेट 121
81. कमांडेंट के समक्ष कार्यवाहियों में प्रयोग की जाने वाली भाषा 121
82. मजिस्ट्रेट द्वारा भर्ती किए गए बल-सदस्यों का विचारण न किया जाना 121
83. मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना का दिया जाना 121
84. अभियुक्त के विचारण के संबंध में मजिस्ट्रेट को सूचित किया जाना 123
85. कमांडर द्वारा अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाना 123
86. कारावास की रीति 123
87. बल अभिरक्षा 123
88. दण्डादेश की प्रख्यापना 125
89. कार्यवाहियों का पारेषण 125
90. अपील 125

अध्याय 14

91. प्राइवेट सेक्टर में औद्योगिक स्थापनों को तकनीकी परामर्शी सेवाएँ 125
91क. चिकित्सीय अयोग्यता के आधार पर राजपत्रित अधिकारियों की सेवानिवृत्ति/उन्मोचन 129
91ख. चिकित्सीय अयोग्यता के आधार पर भर्ती किये गए बल-सदस्य की सेवानिवृत्ति 129
92. निरसन और व्यावृत्ति 131
परिशिष्ट ''क'' - करार का प्ररूप 133
परिशिष्ट ''ख'' 135
परिशिष्ट ''ग'' - चिकित्सीय परीक्षा रिपोर्ट 135
परिशिष्ट ''घ'' - सेवोन्मुक्ति प्रमाणपत्र 143
अनुसूची-1 149
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के लिये वर्दी एवं साज-सज्जा का मापदण्ड (सामान्य वस्तुएँ) 159

Scanned by CamScanner

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम, 2001[1]

केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 50) की धारा 22 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** -- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम **केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम, 2001** है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएँ** -- इन नियमों में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो --

(क) **"अधिनियम"** से केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 50) अभिप्रेत है;

(ख) **"परिशिष्ट"** से इन नियमों का परिशिष्ट अभिप्रेत है;

(ग) **"बंद गिरफ्तारी"** से किसी भर्ती किए गए बल-सदस्य का उस बल या उस बल की किसी टुकड़ी या किसी क्वार्टर गार्ड चौकी, भवन या किसी गार्ड के प्रभार के अधीन शिविर के भीतर परिरोध अभिप्रेत है;

(घ) **"मजिस्ट्रेट"** से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 3 में यथानिर्दिष्ट कोई मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है;

(ङ) **"खुली गिरफ्तारी"** से किसी भर्ती किए गए बल सदस्य का, बल की किसी टुकड़ी द्वारा तत्समय दखल की हुई किसी बैरक, लाइन या शिविर की प्रसीमा के भीतर परिरोध अभिप्रेत है;

(च) **"अनुसूची"** से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है;

(छ) **"धारा"** से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(ज) **"हमला"**, **"आपराधिक बल"**, **"विश्वास करने का कारण"**, **"सदोष अवरोध लगा देना"** और **"स्वेच्छया उपहति कारित करता है"** पद के वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उनके भारतीय दण्ड संहिता में हैं;

Scanned by CamScanner

(झ) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो क्रमशः उनके अधिनियम में हैं।

अध्याय 2

बल की संरचना

3. बल का गठन -- (1) बल निम्नलिखित तीन शाखाओं से मिलकर बनेगा, अर्थात् --

(i) कार्यपालक शाखा;

(ii) अग्नि शमन सेवा शाखा; और

(iii) अनुसचिवीय शाखा।

(2) प्रत्येक शाखा ऐसे पर्यवेक्षक अधिकारियों (महानिदेशक से भिन्न) और भर्ती किए गए बल के सदस्यों से मिलकर बनेगी जो समय-समय पर महानिदेशक विनिर्दिष्ट करे।

4. बल की संरचना -- पर्यवेक्षक अधिकारियों और बल के भर्ती किए गए सदस्यों को निम्नलिखित प्रवर्गों में रैकों के अनुसार वर्गीकरण किया जाएगा, अर्थात् :-

(1) (क) पर्यवेक्षण अधिकारी

(i) महानिदेशक;

[1][(iक) अतिरिक्त महानिदेशक;]

(ii) महानिरीक्षक;

(iii) उप महानिरीक्षक, उपमहानिरीक्षक (अग्नि शमन), [2][प्राचार्य, प्रादेशिक प्रशिक्षण केन्द्र, प्राचार्य अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण संस्थान], [1][निदेशक (चिकित्सा) [3][***]] [4][***];

[5][(iiiक) ज्येष्ठ कमांडेंट, सहायक महानिरीक्षक;]

(iv) कमांडेंट, सहायक महानिरीक्षक, सहायक महानिरीक्षक (अग्नि शमन), कमांडेंट (अग्नि शमन), ग्रुप कमांडेंट, [2][उप प्राचार्य, प्रादेशिक प्रशिक्षण केन्द्र, उप प्राचार्य अग्निशमन सेवा प्रशिक्षण संस्थान]

Scanned by CamScanner

[1][***] [2][और कमांडेंट (चिकित्सा अधिकारी)]; [3][***]

(v) उप कमांडेंट, [4][उप कमांडेंट (अग्नि शमन) और उप कमांडेंट (चिकित्सा अधिकारी)]; [3][***]

(vi) सहायक कमांडेंट, [5][***] सहायक कमांडेंट (कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी) और सहायक कमांडेंट (अग्नि शमन), [2][सहायक कमांडेंट (चिकित्सा अधिकारी)] [3][***]।

(ख) भर्ती किए गए सदस्य --

(vii) निरीक्षक (कार्यपालक, आशुलिपिक, अनुसचिवीय, अग्नि शमन और आयुधिक);

(viii) उपनिरीक्षक (कार्यपालक, आशुलिपिक, अनुसचिवीय, अग्नि शमन और आयुधिक);

(ix) सहायक उप निरीक्षक (कार्यपालक, [6][आशुलिपिक,] अनुसचिवीय, अग्नि शमन और आयुधिक), [2][भेषजज्ञ, बैंड एवं मोटर मैकेनिक];

(x) हैड कांस्टेबल (ड्राईवर, कार्यपालक, [6][अनुसचिवीय,] अग्निशमन और आयुधिक);

[7][(xi) कांस्टेबल (कार्यपालक, अग्निशमन, आयुधिक, ड्राइवर, ड्राइवर-सह-पंप प्रचालक, नर्सिंग सहायक, बैंड, फिटर और ट्रेड्समेन)।

स्पष्टीकरण.- उपनियम (1) के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिए, उपखंड (xi) में उल्लेखित रैंकों से भिन्न उपनियम (1) के खंड (ख) में रैंकों का प्रत्येक प्रवर्ग उस प्रवर्ग से नीचे उल्लिखित रैंक से ठीक उच्चतर रैंक में होगा।]

Scanned by CamScanner

[1][***]

(2) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इन नियमों में कमांडेंट, उप कमांडेंट, सहायक कमांडेंट, निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, हैड कांस्टेबल, कांस्टेबल और अनुचरों के प्रति निर्देश को उपनियम (1) के मद (iv) से मद (xii) में विनिर्दिष्ट यथास्थिति पर्यवेक्षक अधिकारियों या भर्ती किए गए बल-सदस्यों की सभी या किसी रैंक के प्रति निर्देश क्रमशः सम्मिलित समझा जाएगा।

5. स्थानीय रैंक का प्रदान किया जाना -- इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, महानिदेशक बल के बेहतर कार्यकरण के लिए जब कभी भी उसके द्वारा आवश्यक समझा जाए बल के किसी अधिकारी को उसके द्वारा धारित रैंक से निम्नलिखित उच्चतर रैंक केन्द्रीय सरकार द्वारा पुष्टि किए जाने के अधीन रहते हुए स्थानीय रैंक के रूप में प्रदान कर सकेगा :-

(i) महानिदेशक द्वारा केवल कमांडेंट तक जिसमें यह रैंक भी सम्मिलित है स्थानीय रैंक प्रदत्त की जाएगी।

(ii) उप महानिरीक्षक और उसके ऊपर के स्तर के अधिकारियों को स्थानीय रैंक गृह मंत्रालय के पूर्व अनुमोदन के पश्चात् प्रदत्त की जाएगी।

(iii) स्थानीय रैंक प्रदत्त करने की शक्ति महानिदेशक द्वारा उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी को आगे प्रत्यायोजित नहीं की जाएगी।

(iv) बल का वह अधिकारी जिसे स्थानीय रैंक प्रदान की गई है --

(क) कमान का प्रयोग करेगा और उस रैंक को धारित करने वाले अधिकारी की शक्तियाँ उसमें निहित होंगी;

(ख) उस रैंक को धारित करने से प्रविरत हो जाएगा जब ऐसी रैंक प्रदान किए जाने की केन्द्रीय सरकार द्वारा 21 दिन के भीतर पुष्टि नहीं की जाती है, या महानिदेशक द्वारा जब ऐसा आदेश दिया जाता है या जब वह उस नियुक्ति को धारित करने से प्रविरत हो जाता है जिसके लिए वह रैंक प्रदान की गई है।

(ग) ऐसी रैंक धारित करने के लिए कोई अतिरिक्त वेतन और भत्ते के लिए हकदार नहीं होगा।

(घ) ऐसी रैंक धारित करने के आधार पर बल के अन्य अधिकारी पर किसी ज्येष्ठता का दावा करने के लिए हकदार नहीं होगा।

6. महानिदेशक के कर्त्तव्य -- (1) महानिदेशक बल का प्रधान होगा और उसे उच्च दक्षता, प्रशिक्षण, अनुशासन और मनोबल की स्थिति में बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा तथा वह

1. [illegible]

Scanned by CamScanner

उस प्रयोजन के लिए सभी ऐसे कदम उठाएगा जो वह आवश्यक समझे जिसमें वह दौरे करके, निरीक्षण, अभिलेखों की परीक्षा करके, रिपोर्ट मांग कर, विनियम बनाकर, अनुदेश जारी करके और बल के प्रशासन से संबंधी सभी विषयों पर अनुदेश जारी करके ऐसा करेगा। वह विशिष्टतया पर्यवेक्षक अधिकारियों का मार्गदर्शन करेगा और उन्हें निदेश देगा तथा यह सुनिश्चित करना उस का कर्त्तव्य होगा कि प्रत्येक पर्यवेक्षक अधिकारी उसके प्रभार में बल की दक्षता और अनुशासन को उच्च स्तर पर बनाए रखता है।

(2) महानिदेशक स्वयं को पब्लिक सेक्टर उपक्रम के अध्यक्ष, प्रबंध निदेशकों और महाप्रबंधकों के साथ जोड़े रखेगा जहाँ बल तैनात किया गया है और बल के संबंध में प्रत्येक ऐसे उपक्रम की समस्याओं और आवश्यकताओं के लिए समय-समय पर स्वयं को उपलब्ध रखेगा। वह राज्य की पुलिस तथा अन्य प्राधिकारियों के साथ निकटस्थ संपर्क बनाए रखेगा ताकि पब्लिक सेक्टर उपक्रम के संरक्षण और सुरक्षा से संबंधित विषयों के संबंध में राज्य पुलिस और बल के बीच प्रभावी समन्वय सुनिश्चित कर सके। वह महत्व के सभी विषयों को केन्द्रीय सरकार को सम्यक् रूप से अवगत कराएगा।

7. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में सेक्टर महानिरीक्षक के कर्त्तव्य -- (1) सम्मिलित करने के लिए अपने-अपने सेक्टरों में जो विभिन्न नियमों के अधीन यथा उपबंधित वित्तीय और प्रशासनिक विषयों में एक या अधिक जोनों से मिलकर बन सकेंगे, विभागाध्यक्ष की शक्तियों का प्रयोग करना।

(2) क्षेत्रीय एककों में अपराध अवस्थितियों का निकटता से मॉनीटर करना और अपने-अपने सेक्टरों में उचित अपराध नियंत्रण उपायों को अपनाना।

(3) विभिन्न पब्लिक सेक्टर उपक्रमों सहित उसके प्रभार के अधीन अभिनियोजित बल का संचालन, नियंत्रण करना और अपने-अपने जोन/संयंत्र उप महानिरीक्षकों को समय के भीतर अनुदेश देना। इसके अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा, कर्त्तव्य/निर्वाचन कर्त्तव्य आदि पर अभिनियोजन भी सम्मिलित है।

(4) औद्योगिक उपक्रमों में प्रभावी, इंतजाम को सुनिश्चित करने के लिए सभी सरोकार रखने वालों का मार्गदर्शन करना तथा निदेश देना।

(5) राज्यों के मुख्य सचिवों, पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक और पब्लिक सेक्टर स्थापनों के प्रधान/मुख्य कार्यपालकों के साथ संपर्क और समन्वय स्थापित करना और उसे बनाए रखना।

(6) बल मुख्यालय से परिपत्रों के अनुसार अपने सेक्टर में एककों के निरीक्षणों को कार्यान्वित करना।

(7) विभिन्न एककों से संबंधित जोन/संयंत्र उप महानिरीक्षकों द्वारा किए गए निरीक्षण रिपोर्ट की संवीक्षा करना और उसमें इंगित की गई कमियों के अनुपालन को मॉनीटर करना।

Scanned by CamScanner

(8) बल मुख्यालय द्वारा जब कभी ऐसा निदेश दिया जाए सेक्टर के भीतर या अन्यत्र विशेष जाँच करना।

(9) जोन/संयंत्र उप महानिरीक्षक के दौरे, कार्यक्रमों, निरीक्षण, टिप्पण और मासिक डायरियों की संवीक्षा करना और उनका अनुमोदन करना।

(10) बल के मुख्यालय द्वारा जारी किए नियमों/अनुदेशों के अनुसार छुट्टी प्रदान करने की शक्ति का प्रयोग करना।

(11) सेक्टर के भीतर भर्ती किए गए बल के सदस्यों की तैनातियों/स्थानान्तरणों का आदेश करना।

(12) विभागीय जाँच मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करना और न्यायालय के मामलों की बारीकी से मॉनीटरी करना।

(13) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के देय की समय के भीतर वसूली सुनिश्चित करना।

(14) उसके प्रभाराधीन बल कार्मिक के उचित प्रशिक्षण को सुनिश्चित करना।

(15) उसके मनोबल को उच्च रखने के लिए उसके प्रभाराधीन बल कार्मिकों को कल्याण की देख-रेख करना और उसके लिए प्रभावी कदम उठाना।

(16) बल मुख्यालय द्वारा मांगी गई जानकारी/ब्यौरों के संबंध में एककों द्वारा समय के भीतर कार्रवाई सुनिश्चित करना।

8. उप महानिरीक्षक के कर्त्तव्य -- (1) बल के उचित पर्यवेक्षण के लिए देश को जोनों में विभाजित किया जाएगा। एक उप महानिरीक्षक प्रत्येक जोन का भारसाधक होगा। वह उच्च दक्षता, प्रशिक्षण, अनुशासन और मनोबल की स्थिति में अपने प्रभार के बल को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा। इस प्रयोजन के लिए वह अपनी जोन में पब्लिक सेक्टर में औद्योगिक उपक्रमों का वर्ष में कम से कम दो बार निरीक्षण करेगा, जहाँ बल तैनात किया गया है और अपनी निरीक्षण रिपोर्ट बल की स्थिति और उसके प्रशासन के ब्यौरे देते हुए महानिरीक्षक को भेजेगा।

(2) उप महानिरीक्षक कमांडेंटों के लिए सदैव उपलब्ध रहेगा और उनकी सहायता करेगा, सलाह देगा और उन पर नियन्त्रण रखेगा। वह अपने जोन में उपक्रमों के अध्यक्षों, प्रबंध निदेशकों और महाप्रबंधकों के साथ मिलकर रहेगा और औद्योगिक उपक्रमों की सम्पत्ति के उचित संरक्षण और सुरक्षा सुनिश्चित करने में राज्य पुलिस और बल के बीच पूरा सहयोग प्राप्त करने की दृष्टि से राज्य प्राधिकारियों के साथ भी संपर्क रखेगा। वह उप महानिरीक्षक को सभी विकासों के संबंध में पूरी तरह से अवगत करता रहेगा जिसके लिए उसे ध्यान देने की आवश्यकता है, [1][सामान्यतः] कमांडेंट और महानिरीक्षक के बीच सभी संसूचनाएँ उप महानिरीक्षक के माध्यम से भेजी जाएंगी। यद्यपि अत्यावश्यक मामले में कमांडेंट महानिरीक्षक को सीधे लिख सकेगा। उस दशा में वह एक प्रति उप महानिरीक्षक को पृष्ठांकित करेगा।

Scanned by CamScanner

[1][(3) जब उप महानिरीक्षक को यूनिट का प्रमुख बनाया जाता है तो वह नियम 10 में परिगणित सभी कर्त्तव्यों का निर्वहन करेगा और सभी गतिविधियों की रिपोर्ट महानिरीक्षक को करेगा।]

9. प्रबंध निदेशक और महाप्रबंधक के कर्त्तव्य -- किसी उपक्रम में तैनात बल उस उपक्रम के प्रबंध निदेशक के साधारण पर्यवेक्षण, निदेशन और नियंत्रण के अधीन कार्य करेगा। बल का [2][यूनिट कमांडर] सभी विकासों की पूरी सूचना प्रबन्ध निदेशक को देगा जिसके अन्तर्गत बल की स्थिति भी है। प्रबन्ध निदेशक उसके उपक्रम में अवस्थित बल की चौकियों का कम से कम वर्ष में एक बार निरीक्षण करेगा।

10. कमांडेंट के कर्त्तव्य -- (1) कमांडेंट एकक का प्रधान होगा। यह एकक की दक्षता, अनुशासन और मनोबल के लिए और उसके अधीन बल की प्रत्येक शाखा के उचित प्रबंध के लिए उत्तरदायी होगा। वह उसको कमान के अधीन बल के एककों का कालिकतः निरीक्षण करेगा। उसके अधीन बल के सभी आदेश उससे निकलेंगे और उसके अधीन बल से सभी संसूचनाएँ उसके माध्यम से पारित होंगी।

(2) कमांडेंट मुख्यालय के बाहर तैनात की गई बल की टुकड़ियों का नियमित रूप से निरीक्षण करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वे दक्षता की उचित स्थिति में रहते हैं। वह यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीन सभी बल [3][***] सदस्य कार्यक्रम के अनुसार बारी-बारी से परेड और पुनश्चर्या कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं। जब यह मुख्यालय में रहता है वह प्रत्येक [2][सोमवार] और शुक्रवार को परेड में उपस्थित रहेगा और प्रत्येक शुक्रवार को आर्डरली रूम रखेगा।

(3) कमांडेंट उस उपक्रम की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी होगा जिसमें उसके एककों की टुकड़ी तैनात हैं। उस प्रयोजन के लिए वह जिला तथा पुलिस प्राधिकारियों और उक्त उपक्रमों में विभिन्न विभागों के अध्यक्षों के साथ निकट संपर्क रखेगा। वह उक्त उपक्रम के प्रबंध निदेशक और महाप्रबंधक तथा उप महाप्रबंधक को सभी विकासों की पूरी सूचना देगा और उनको यथाविहित पाक्षिक रिपोर्टें नियमित रूप से भेजेगा। तथापि अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों की यथासंभव शीघ्र साधनों द्वारा उनको सूचना देगा। वह आसूचना खंड के कार्यकरण पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देगा और सुनिश्चित करेगा कि आसूचना दक्षता से एकत्रित की जाती है और प्रबंध निदेशक, महाप्रबंधक और उप महानिरीक्षक को शीघ्रता से पहुँचाई जाती है।

11. उप कमांडेंट के कर्त्तव्य -- (1) उप कमांडेंट उसके कर्त्तव्य के निर्वहन में कमांडेंट की सहायता करेगा; और जहाँ वह एकक के प्रधान के रूप में रखा जाता है वह कमांडेंट के समस्त कर्त्तव्य का

Scanned by CamScanner

निर्वहन करेगा और केवल उन वित्तीय शक्तियों का प्रयोग करेगा जो सुसंगत नियमों के अधीन उसको प्रत्यायोजित की जाती हैं।

(2) उप कमांडेंट उसके अधीन कार्मिक की दक्षता, अनुशासन और मनोबल के लिए उत्तरदायी होगा और उपक्रम या उसको सौंपी गई उसके भाग की सुरक्षा के लिए भी उत्तरदायी होगा।

[1][**12. सहायक कमांडेंट के कर्त्तव्य** -- सहायक कमांडेंट, कमांडेंट को सहायता करेगा और जब तक इस प्रयोजन के लिए बनाए गए विनियमों में विनिर्दिष्टतया इसके प्रतिकूल निर्देशित न किया जाए, वह कमांडेंट के कृत्यों का, जब कमांडेंट द्वारा ऐसा अपेक्षित हो पालन करेगा। वह अपने अधीन कार्मिकों की दक्षता, अनुशासन और मनोबल के लिए उत्तरदायी होगा और उपक्रम की सुरक्षा और उसे सौंपे गए किन्हीं अन्य कर्त्तव्यों के लिए भी उत्तरदायी होगा। वह उप कमांडेंट को, जहाँ उप कमांडेंट यूनिट का प्रमुख है, सहयोग करेगा।]

[2][**12क.** अन्य पदों के लिये, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा संस्वीकृत/सृजित किये गए हैं या समय-समय पर संस्वीकृत/सृजित किये जा सकेंगे, उनके कर्त्तव्य महानिदेशक केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, द्वारा पृथक् आदेश द्वारा समनुदेशित किये जाएंगे।]

अध्याय 3

गिरफ्तारी, तलाशी आदि की प्रक्रिया

13. गिरफ्तारी -- (1) अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन गिरफ्तारी करने में बल-सदस्य गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को वास्तविक रूप से स्पर्श करेगा या परिरुद्ध करेगा।

(2) यदि ऐसा व्यक्ति उसकी गिरफ्तारी करने के प्रयास में बलपूर्वक प्रतिरोध करता है या गिरफ्तारी से बचने का प्रयत्न करता है तो बल का सदस्य गिरफ्तारी को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सभी साधनों का उपयोग कर सकेगा। बल प्रयोग की दशा में उस विशिष्ट अवस्थिति में उसका न्यूनतम प्रयोग किया जाना चाहिए।

(3) गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति पर उसके बचकर भागने से रोकने के लिए आवश्यकता से अधिक अवरोध नहीं [1][किया जाएगा]।

(4) गिरफ्तारी करने वाला बल सदस्य ऐसे व्यक्ति की तलाशी कर सकेगा और सभी वस्तुओं की सुरक्षित अभिरक्षा में रखा सकेगा इसके अन्तर्गत उसके पास पाए गए पहनने के आवश्यक कपड़े से भिन्न हथियार यदि कोई हों भी सम्मिलित हैं। सभी ऐसी वस्तुओं की एक सूची कम से कम दो प्रतिष्ठित साक्षियों की उपस्थिति में और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की उपस्थिति में तैयार की जाएगी और साक्षियों

Scanned by CamScanner

और तलाशी करने वाले सम्यक् रूप में हस्ताक्षरित सूची की एक प्रति, उसकी प्राप्ति की रसीद प्राप्त करने के पश्चात् इस प्रकार गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को दी जाएगी।

(5) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति तथा अभिगृहीत वस्तुओं और उसकी सूची पुलिस अधिकारी को या निकटतम पुलिस थाने में, समय तारीख और गिरफ्तारी के कारण देते हुए एक संक्षिप्त टिप्पण के साथ सौंपी जाएगी।

14. तलाशी -- जब कभी भी अधिनियम की धारा 12 के अधीन किसी व्यक्ति या उसके [1][सामान] की तलाशी की जाती है तब दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उपस्थिति में एक सूची तैयार की जाएगी और साक्षियों की और उस व्यक्ति द्वारा जिसने तलाशी की है सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित सूची की एक प्रति संबद्ध व्यक्ति को उसकी प्राप्ति अभिप्राप्त करने के पश्चात् दी जाएगी। ऐसी तलाशी पर इस प्रकार पाई गई संपत्ति भी उस व्यक्ति के साथ पुलिस को भेजी जाएगी। यदि ऐसी तलाशी में कुछ भी नहीं पाया जाता है तो सम्यक् रूप से हस्ताक्षरित कुछ नहीं सूची विवरण उस व्यक्ति के साथ पुलिस को भेजा जाएगा।

15. विहित रैंक -- अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए विहित रैंक हैड कांस्टेबल होगा।

अध्याय 4

बल में भर्ती

[2][**16. नियुक्ति की शक्तियाँ** -- अधिनियम और इन नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, उप निरीक्षक और निरीक्षक के पद पर नियुक्तियाँ संबद्ध उप महानिरीक्षक द्वारा की जाएगी और सहायक उप निरीक्षक, हैड कांस्टेबल और कांस्टेबल के रैंकों में नियुक्तियां वरिष्ठ कमाण्डेण्ट/ कमाण्डेण्ट द्वारा की जाएगी।]

17. बल में नियुक्ति के लिए पात्रता की शर्तें -- कोई भी व्यक्ति बल में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जब तक कि --

(क) (i) वह भारत का नागरिक नहीं है;

(ii) वह ऐसे व्यक्तियों के प्रवर्गों का नहीं है जो समय-समय पर बल में नियुक्ति के लिए पात्र होने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित किए जाएँ;

(ख) वह अच्छे नैतिक चरित्र का न हो;

(ग) वह केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के चिकित्सा अधिकारी या किसी अन्य चिकित्सा अधिकारी या किसी सरकारी अस्पताल या औषधालय के श्रेणी एक के सहायक

---

1. सा.का.नि. [illegible]

Scanned by CamScanner

शल्य चिकित्सक द्वारा प्रमाणित परिशिष्ट "ग" में विहित प्ररूप में स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अभिप्राप्त नहीं करता है।

18. **निरर्हता** -- वह व्यक्ति --

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

बल में नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

अध्याय 5

सीधी भर्ती

19. **पदों का नाम, उनका वर्गीकरण और वेतनमान** -- बल-सदस्यों के पदों के नाम, उनकी संख्या और वर्गीकरण तथा उनका वेतनमान वहीं होंगे जो समय-समय पर यथा संशोधित भर्ती नियमों में यथा विनिर्दिष्ट हैं।

20. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएँ** -- उक्त प्रत्येक पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएँ और उससे संबंधित अन्य बातें वही होंगी जो समय-समय पर यथा संशोधित भर्ती नियमों में विनिर्दिष्ट हैं।

21. **करार** -- प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण के आधार पर नियुक्ति के सिवाय नियुक्त किए गए प्रत्येक बल-सदस्य उनकी प्रारंभिक नियुक्ति के समय परिशिष्ट "क" में विनिर्दिष्ट प्ररूप में एक करार निष्पादित करेगा।

22. **काडर** -- नियम 3 में उल्लिखित तीन शाखाओं में से प्रत्येक शाखा ज्येष्ठता, प्रोन्नति और पुष्टिकरण के लिए पृथक् काडर बनाएगी।

अध्याय 6

प्रतिनियुक्ति

23. (1)(क) प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान अधिकारी जो प्रतिनियुक्ति पर है अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों द्वारा शासित होगा।

परन्तु यह कि नियम 58, नियम 59 और नियम 71 के उपबन्ध उस पर लागू नहीं होंगे।

Scanned by CamScanner

(ख) पूर्वगामी किसी बात पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक ऐसा अधिकारी बल में तत्समान रैंक को लागू अनुशासन के नियमों के अधीन रहेगा।

(2) जैसा ऊपर बताया गया है उसके सिवाय, प्रतिनियुक्ति के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी उधारदाता प्राधिकारी और केन्द्रीय सरकार के बीच करार पाई जाएं।

(3) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति केन्द्रीय सरकार या महानिदेशक किसी भी समय किसी अधिकारी की प्रतिनियुक्ति को बिना कारण बताए समाप्त कर सकेगा और ऐसी समाप्ति दण्ड नहीं समझी जाएगी।

अध्याय 7

प्रोन्नति

24. प्रोन्नति -- इन नियमों में से किसी बात के होते हुए भी विशेष रूप से योग्य कांस्टेबल या हैड कांस्टेबल जो पन्द्रह या बीस वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण कर चुके हैं, यथास्थिति, हैड कांस्टेबल, या सहायक उपनिरीक्षक की रैंक में उनके सेवा अभिलेखों के आधार पर उपमहानिरीक्षक के अनुमोदन से कमांडेंट द्वारा पदोन्नत किये जा सकेंगे किन्तु ऐसी पदोन्नति की कुल संख्या ऐसे पदों के दस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी जो पदोन्नति की पद्धति द्वारा भरी जा सकेगी।

25. परिवीक्षा -- (1) प्रतिनियुक्ति/आमेलन पर नियुक्ति के सिवाय प्रत्येक बल-सदस्य भर्ती नियमों के सुसंगत स्तंभ में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा :

परन्तु यह कि पुष्टिकरण के विनिर्दिष्ट आदेश या परिवीक्षा के समाधानप्रद समापन की घोषणा के अभाव में बल-सदस्य परिवीक्षा पर समझा जाएगा :

परन्तु यह और कि कोई बल-सदस्य अपने-अपने भर्ती नियमों में विहित अवधि की दुगुनी अवधि से अधिक के लिए परिवीक्षा पर नहीं रखा जाएगा।

(2) यदि परिवीक्षा की अवधि के दौरान नियुक्ति प्राधिकारी की यह राय है कि बल-सदस्य स्थायी नियुक्ति के लिए योग्य नहीं है, तो नियुक्ति प्राधिकारी यथास्थिति एक मास की सूचना जारी करने के पश्चात् या ऐसी सूचना के बदले में एक मास का वेतन देने के पश्चात् उसे बल से सेवोन्मुक्त [1][या सेवा को समाप्त कर सकेगा] या उसे उस रैंक में प्रतिवर्तित कर सकेगा जिससे उसकी पदोन्नति की गई थी या उसके मूल विभाग को संप्रत्यावर्तित कर सकेगा।

(3) बल-सदस्य द्वारा परिवीक्षा के सफलतापूर्वक पूरा किए जाने के पश्चात् नियुक्ति प्राधिकारी बल-सदस्य की उस श्रेणी में जिसमें उसने बल में पद ग्रहण किया था पुष्टिकरण वाला आदेश पारित करेगा।

---

1. ...

Scanned by CamScanner

26. समाप्ति -- [1][(1) जहाँ नियुक्ति प्राधिकारी ने किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवाओं को समाप्त किया है, वहाँ महानिरीक्षक स्वप्रेरणा से या अन्यथा मामले को पुनः खोल सकेगा और ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जैसी वह ठीक समझे (i) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि कर सकेगा; (ii) सूचना को वापस ले सकेगा; (iii) परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा में पुनःस्थापित कर सकेगा; या (iv) मामले में ऐसा अन्य आदेश कर सकेगा, जो वह उचित समझे :

परन्तु विशेष परिस्थितियों के सिवाय, जिन्हें लेखबद्ध किया जाना चाहिए --

(क) उस दशा में जहाँ सूचना दी है सूचना की तारीख से;

(ख) जहाँ कोई सूचना नहीं दी जाती है उस दशा में सेवा की समाप्ति की तारीख से;

कोई मामला तीन मास की समाप्ति के पश्चात् इस उपनियम के अधीन पुनः नहीं खोला जाएगा।]

(2) जहाँ उपरोक्त नियम के अधीन परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा में पुनःस्थापित किया जाता है वहाँ पुनःस्थापित करने के आदेश में निम्नलिखित विनिर्दिष्ट होगा : (i) परिवीक्षाधीन व्यक्ति को उसकी सेवाओं की समाप्ति की तारीख और उसके पुनः स्थापित करने की तारीख के बीच उसकी अनुपस्थिति की अवधि के लिए संदत्त किए जाने वाले वेतन और भत्तों के अनुपात की राशि यदि कोई हो ; और (ii) क्या उक्त अवधि किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन या प्रयोजनों के लिए ड्यूटी पर [1][बिताई गई] अवधि के रूप में समझी जाएगी या नहीं।

(3) जहाँ महानिरीक्षक ने किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति की सेवा नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में कार्य करते हुए समाप्त की है वहाँ ऊपर उपनियम (1) और (2) में विहित सभी शक्तियाँ महानिदेशक द्वारा और जहाँ महानिदेशक ने समाप्ति का आदेश जारी किया है वहाँ केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रयोग की जाएगी।

[2][(4) यथास्थिति, परिवीक्षा या उसके विस्तार की अवधि के दौरान, नियुक्ति प्राधिकारी बल के किसी सदस्य की, बल में उस सदस्य की नियुक्ति के समय मिथ्या या गलत सूचना दिए जाने या उसके आधारिक प्रशिक्षण या पुनरावृत्त पाठ्यक्रम उत्तीर्ण करने में असफल रहने के आधारों पर, सेवाओं को, इस प्रभाव की एक मास की सूचना या उसके बदले में एक मास का वेतन देकर, कोई कारण बताए बिना समाप्त कर सकेगा।]

अध्याय 8

विशेष उपबंध

27. व्यक्तियों के कतिपय प्रवर्गों के लिए विशेष उपबंध -- इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्र सरकार द्वारा

1. सा.का.नि. [illegible]

Scanned by CamScanner

समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष वर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

28. शिथिल करने की शक्ति -- पूर्वगामी नियमों में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ बल की विरचना और उसके सम्यक् रूप से कार्यकरण के लिए ऐसा करना आवश्यक है वहाँ इन नियमों के अधीन (चिकित्सक दृष्टया योग्य की अपेक्षा से भिन्न) महानिदेशक द्वारा सीधी भर्ती के समय निम्नलिखित की बाबत शिथिलीकरण किया जा सकेगा।

(i) कांस्टेबल -- पात्रता का कोई मापदण्ड

[1][***]

अध्याय 9

सेवा की शर्तें और आचरण

29. निर्देशिकाएँ -- महानिदेशक, केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से प्रशासन के लिए अन्य निर्देशिकाओं के साथ-साथ प्रशिक्षण निर्देशिका, स्थापन निर्देशिका की विरचना करेगा।

30. सत्यनिष्ठा का प्रतिज्ञान -- नियुक्ति पर प्रत्येक रंगरूट या कैडेट से परिशिष्ट "ख" में दिए गए प्ररूप में उसकी सत्यनिष्ठा के प्रतिज्ञान की अपेक्षा की जाएगा और वह अधिनियम की धारा 6 में यथाविहित नियुक्ति का प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा।

अध्याय 10

शास्तियाँ और प्रक्रिया

31. अनुशासन शासित करने वाले नियम -- (1) पर्यवेक्षक अधिकारी अनुशासनिक कार्यवाहियों की बाबत तत्समान वर्ग के केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को लागू नियमों द्वारा शासित होंगे।

(2) भर्ती किए गए बल-सदस्य ऐसे मामलों में इस अध्याय के नियमों द्वारा शासित होंगे।

32. अनुशासनिक प्राधिकारी -- (1) किसी विशिष्ट शास्ति को अधिरोपित करने या किसी अनुशासनिक आदेश को पारित करने के प्रयोजन के लिए किसी भर्ती किए गए बल-सदस्य की बाबत अनुशासनिक प्राधिकारी अनुसूची (1) में इस निमित्त विनिर्दिष्ट प्राधिकारी होगा जिसके प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन वह बल-सदस्य सेवारत है और ऐसे प्राधिकारी से वरिष्ठ अनुसूची में उल्लिखित कोई प्राधिकारी सम्मिलित होगा।

1. सा.का.नि. ... [illegible] ... (ii) विलोपित (12-7-2013 से

Scanned by CamScanner

[1][(2) जब कभी बल सदस्य, उसकी स्थायी तैनाती के स्थान पर से बाहर, किसी कार्य संचालन के लिए या किसी अन्य कर्त्तव्य के लिए या किसी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए अभिनियोजित किया जाता है तब ऐसा पर्यवेक्षण अधिकारी, जिसके नियंत्रण के अधीन ऐसा सदस्य इस प्रकार अभिनियोजित किया गया है उसे निलंबित करने के लिए सक्षम होगा। ऐसा पर्यवेक्षण अधिकारी मामले को उपनियम (1) में यथा उल्लिखित संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी को निर्दिष्ट करेगा।]

(3) नियम 34 के खण्ड (iv) से खण्ड (x) में विनिर्दिष्ट किसी शास्ति के अधिरोपित करने के लिए अनुसूची (1) के अधीन सक्षम अनुशासनिक प्राधिकारी इस बात के होते हुए भी कि ऐसा अनुशासनिक प्राधिकारी ऐसी किन्हीं शास्तियों को अधिरोपित करने के लिए अनुसूची (1) के अधीन सक्षम नहीं है, नियम 34 के खण्ड (i) से खण्ड (v) में विनिर्दिष्ट किसी शास्ति के अधिरोपण के लिए भर्ती किए गए किसी बल-सदस्य के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित कर सकेगा।

33. निलंबन -- (1) नियुक्ति प्राधिकारी या कोई प्राधिकारी जिसका वह अधीनस्थ है या अनुशासनिक प्राधिकारी अथवा कोई अन्य प्राधिकारी, जो राष्ट्रपति द्वारा इस निमित्त साधारण या विशेष आदेश द्वारा सशक्त किया गया है किसी भर्ती किए गए बल-सदस्य को निम्नलिखित परिस्थितियों में निलंबित कर सकेगा :

(क) जहाँ उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही विचारित है या लंबित है; या

(ख) जहाँ किसी दांडिक अपराध की बाबत उसके विरुद्ध कोई मामला अन्वेषण, जाँच या विचारण अधीन है; या

(ग) जहाँ पूर्वोक्त प्राधिकारी की राय में राज्य की सुरक्षा के हित में प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले क्रियाकलापों में वह स्वयं लगा हुआ है :

परन्तु यह कि जहाँ नियुक्ति प्राधिकारी से निम्नतर के किसी प्राधिकारी द्वारा निलंबन का आदेश किया गया है वहाँ ऐसा प्राधिकारी उन परिस्थितियों के संबंध में जिनमें उसके विरुद्ध वह आदेश दिया गया था नियुक्ति प्राधिकारी को तुरन्त रिपोर्ट भेजेगा और उस आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर उसका अनुमोदन अभिप्राप्त करेगा।

(2) भर्ती किया गया बल-सदस्य नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश द्वारा निलंबित समझा जाएगा --

(क) यदि वह [1][अड़तालीस घंटे] की अवधि से अधिक के लिए चाहे किसी दांडिक आरोप के संबंध में अथवा अन्यथा अभिरक्षा में निरुद्ध रखा गया है, उसके निरोध की तारीख से;

(ख) अपराध के लिए दोषसिद्धि की दशा में जिसमें वह [1][अड़तालीस घंटे] से अधिक के कारावास की अवधि के लिए दंडादिष्ट किया गया है और ऐसी दोषसिद्धि के [1][परिणामस्वरूप] तुरन्त पदच्युत या हटाया या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त नहीं कर दिया है, उसकी दोषसिद्धि की तारीख से।

1. सा.का.नि. ... (... 2003 से प्रभावी)।

Scanned by CamScanner

स्पष्टीकरण -- इस उपनियम के खण्ड (ख) में निर्दिष्ट अड़तालीस घंटे की अवधि दोषसिद्धि के पश्चात् कारावास के प्रारंभ से संगणित की जाएगी और इस प्रयोजन के लिए आंतरायिक कालावधियों को, यदि कोई हों, हिसाब में लिया जाएगा।

(3) जहाँ निलंबित भर्ती किए गए बल-सदस्य सेवा से पदच्युत किए जाने, हटाए जाने या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त किए जाने की अधिरोपित शास्ति इन नियमों के अधीन अपील या पुनर्विलोकन द्वारा अपास्त कर दी जाती है और वह मामला आगे जाँच या कार्रवाई के लिए या किन्हीं अन्य निर्देशों के साथ भेज दिया जाता है उसके निलंबन के आदेश को पदच्युत किए जाने, हटाए जाने या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त किए जाने के मूल आदेश की तारीख से [1][प्रवृत्त] हुआ समझा जाएगा और अगले आदेश तक [1][प्रवृत्त] रहेगा।

(4) जहाँ भर्ती किए गए किसी बल-सदस्य पर अधिरोपित सेवा से पदच्युत किए जाने, हटाए जाने या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त किए जाने की शास्ति विधि के न्यायालय किसी विनिश्चय द्वारा अपास्त या प्रभावहीन घोषित कर दी जाती है और अनुशासनिक प्राधिकारी के मामले [1][की] परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् उन अभिकथनों के आधार पर जिन पर पदच्युत किए जाने, हटाए जाने या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त किए जाने की शास्ति मूलतः अधिरोपित की गई थी उसके विरुद्ध आगे जाँच करने का विनिश्चय करता है वहाँ भर्ती किया गया बल-सदस्य पदच्युत किए जाने, हटाए जाने या अनिवार्यतः सेवानिवृत्त किए जाने के मूल आदेश की तारीख से नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा निलंबन, निलंबनाधीन रखा गया समझा जाएगा और अगले आदेश होने तक निलंबित बना रहेगा।

(5) (क) इस नियम के अधीन किया गया या समझा गया [2][उपनियम (7) के उपबंधों के अधीन निलंबन का कोई आदेश] उस प्राधिकारी द्वारा जो ऐसा करने के लिए सक्षम है उपांतरित या प्रतिसंहृत किए जाने तक प्रवृत्त बना रहेगा।

(ख) जहाँ भर्ती किया गया कोई बल-सदस्य निलंबित कर दिया गया है या निलंबित किया गया समझा गया है (चाहे किन्हीं अनुशासनिक कार्रवाईयों के संबंध में या अन्यथा) और कोई अन्य अनुशासनिक कार्यवाही उस निलंबन के बने रहने के दौरान उसके विरुद्ध आरंभ हो जाती है वहाँ उसे निलंबित करने के सक्षम प्राधिकारी कारणों को लेखबद्ध करके यह निर्देश दे सकेगा कि भर्ती किया गया बल-सदस्य ऐसी सभी कार्रवाईयों या किसी एक कार्यवाही की समाप्ति तक निलंबित बना रहेगा।

(ग) इस नियम के अधीन किया गया या किया गया समझा गया निलंबन का आदेश उस प्राधिकारी द्वारा जिसने उस आदेश को किया है या किया गया समझा गया है या किसी प्राधिकारी द्वारा जिसका वह प्राधिकारी अधीनस्थ है किसी भी समय उपांतरित या प्रतिसंहृत किया जा सकेगा।

[1][(6) इस नियम के अधीन किया गया या किया गया समझा गया निलंबन का कोई आदेश, इस प्रयोजनार्थ संघटित पुनर्विलोकन समिति की अनुशंसा पर, [2][उस तारीख से जिसको बल का अभ्यावेशित सदस्य निलंबित किया गया था, से नब्बे दिन] के पर्यवसान के पूर्व, निलंबन को उपांतरित या प्रतिसंहृत करने को सक्षम प्राधिकारी द्वारा पुनर्विलोकित किया जाएगा और या तो निलंबन को विस्तारित करने या प्रतिसंहृत करने के आदेश पारित किये जाएंगे। पश्चात्‌वर्ती पुनर्विलोकन निलंबन की विस्तारित कालावधि के पर्यवसान के पूर्व किये जाएंगे। निलंबन का विस्तारण एक समय में एक सौ अस्सी दिनों से अधिक की कालावधि के लिये नहीं किया जाएगा।

(7) [3][***] इस नियम के उपनियम (1) या (2) के अधीन किया गया या किया गया समझा गया निलंबन का कोई आदेश, नब्बे दिनों की कालावधि के पश्चात् विधिमान्य नहीं होगा जब तक कि इसे नब्बे दिनों के पर्यवसान के पूर्व अतिरिक्त कालावधि के लिये पुनर्विलोकन के पश्चात् विस्तारित न किया जाए।]

[4][परंतु निलंबन के आदेश का ऐसा कोई पुनर्विलोकन उपनियम (2) के अधीन समझे गए निलंबन की दशा में आवश्यक नहीं होगा यदि बल का अभ्यावेशित सदस्य निलंबन के नब्बे दिन के पूरा होने के समय पर निरोध के अधीन रहता है और ऐसे मामले में पुनर्विलोकन के लिए नब्बे दिन की अवधि उस तारीख से गिनी जाएगी जिससे अभिरक्षा में निरुद्ध बल का अभ्यावेशित सदस्य निरोध से निर्मुक्त किया जाता है या वह तारीख जिसको निरोध से उसके निर्मुक्त होने का तथ्य उसके नियुक्ति प्राधिकारी को सूचित किया जाता है, जो भी पश्वात्‌वर्ती हो।]

34. शास्तियों की प्रकृति -- निम्नलिखित शास्तियाँ ठीक और पर्याप्त कारणों के लिए और जैसा इसमें इसके पश्चात् उपबंधित है उसके अनुसार भर्ती किए गए किसी बल-सदस्य पर अधिरोपित की जा सकेगी, अर्थात् --

गंभीर शास्तियाँ --

(i) सेवा से पदच्युत किया जाना जो आम तौर से सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए एक निरर्हता होगी;

Scanned by CamScanner

(ii) सेवा से हटाया जाना जो सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी;

(iii) अनिवार्यतः सेवानिवृत्ति;

[1][(iv) शास्ति के आदेश में विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के लिए समय वेतनमान, श्रेणी, पद या सेवा को कम करने के लिए कटौती, जो ऐसे वेतनमान, श्रेणी पद या सेवा जिससे उसकी अवनति की गई है, के लिए ऐसी विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान बल के अभ्यावेशित सदस्य की प्रोन्नति के लिए इस निदेश के साथ वर्जन होंगे कि क्या उक्त विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रोन्नत होने पर :-

(क) समय वेतनमान, श्रेणी, पद या सेवा में कटौती की अवधि उसके वेतन की भावी वेतनवृद्धियों को मुल्तवी करने के लिए प्रचालन में रहेगी और यदि ऐसा है तो किस सीमा तक; और

(ख) बल का अभ्यावेशित सदस्य, उच्चतर समय वेतनमान, श्रेणी, पद या सेवा में अपनी मूल ज्येष्ठता पुनः प्राप्त करेगा;]

(v) नीचे खण्ड (viii) में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय किसी विनिर्दिष्ट अवधि के लिए समय वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति जिसमें आगे यह निर्देश होगा कि भर्ती किया गया सदस्य ऐसी अवनति की अवधि के दौरान वेतन की वृद्धियाँ उपार्जित करेगा या नहीं और क्या ऐसी अवधि की समाप्ति पर वह अवनति उसके वेतन की भविष्य में वृद्धियों को मुल्तवी करने में प्रभावी होगी।

छोटी शास्तियाँ --

(vi) परिनिंदा;

(vii) उसकी प्रोन्नति को रोकना;

[2][(viii) बिना संचयी प्रभाव और उसकी पेंशन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए एक प्रक्रम द्वारा समय वेतनमान में निम्नतर प्रक्रम पर अवनति;]

(ix) वेतन वृद्धि रोकना;

(x) 7 दिन के वेतन से अनधिक की किसी राशि के लिए जुर्माना।

स्पष्टीकरण -- इस नियम के अर्थान्तर्गत निम्नलिखित शास्तियों की कोटि में नहीं आएंगी, अर्थात् :-

Scanned by CamScanner

नियम 34

(क) उसकी नियुक्ति के नियमों या आदेशों या निर्बन्धनों के अनुसार विभागीय परीक्षा में असफलता के लिए किसी भर्ती किए गए सदस्य की वेतन वृद्धि को रोकना;

(ख) वर्जन पार करने के लिए उसकी अयोग्यता के आधार पर समय वेतनमान में दक्षतारोध पर किसी भर्ती किए गए सदस्य की वेतनवृद्धि को रोका जाना;

(ग) किसी रैंक या पद पर प्रोन्नति के लिए जिसके लिए वह पात्र है उसके मामले पर विचार करने के पश्चात् किसी अधिष्ठायी या स्थानापन्न हैसियत से भर्ती किए गए सदस्य की प्रोन्नति न होना;

(घ) किसी उच्चतर रैंक या पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने वाले भर्ती किए गए सदस्य का इस आधार पर कि ऐसे उच्चतर रैंक या पद के लिए उसे विचारण के पश्चात् अनुपयुक्त समझा गया है या उसके आचरण से असंबद्ध किन्हीं प्रशासनिक आधारों पर निम्नतर रैंक या पद पर प्रतिवर्तन;

(ङ) उसकी नियुक्ति या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों और आदेशों के निबंधनों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर किसी अन्य रैंक या पद पर परिवीक्षा पर नियुक्त किए गए किसी भर्ती किए गए सदस्य का परिवर्तन;

(च) भर्ती किए गए किसी सदस्य की सेवाओं का प्रतिस्थापन जिनकी सेवाएँ केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी विभाग या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी प्राधिकरण से ली गई थी, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या उस प्राधिकरण की सुपुर्दगी पर होगी जिससे भर्ती किए गए ऐसे सदस्य की सेवाएँ ली गई थीं;

(छ) उसकी अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति से संबंधित उपबंधों के अनुसार भर्ती किए गए सदस्य की अनिवार्यतः सेवानिवृत्ति;

(ज) निम्नलिखित की सेवाओं की समाप्ति --

(i) उसकी नियुक्ति के निबंधनों या ऐसी परिवीक्षा को शासित करने वाले नियमों और आदेशों के अनुसार उसकी परिवीक्षा की अवधि के दौरान या उसकी समाप्ति पर परिवीक्षा पर नियुक्त किए गए सदस्य की सेवाओं की समाप्ति; या

(ii) नियम 25 के उपबंधों के अनुसार भर्ती किए गए अस्थायी सदस्य की सेवा की समाप्ति;

(iii) ऐसे करार के निबंधनों के अनुसार किसी करार के अधीन नियोजित भर्ती किए गए सदस्यों की सेवा की समाप्ति;

(झ) नियम 55 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित "अकार्यदिन" के रूप में कर्त्तव्य से अनुपस्थित समझना।

Scanned by CamScanner

35. क्षुद्र दण्ड -- हैड कांस्टेबल, कांस्टेबल [1][***] को चौदह दिन से अनधिक की कालावधि के लिए अतिरिक्त कवायद गार्ड ड्यूटी फटींग या अन्य ड्यूटी भी दंड के रूप में प्रदान की जा सकेगी।

स्पष्टीकरण -- क्षुद्र दण्ड आमतौर से इस अध्याय के नियम 38 में यथाउपबंधित आर्डरली रूप में दिए जाएंगे।

36. बड़ी शास्तियों को अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया -- (1) लोकसेवक [2][(जाँच)] अधिनियम, 1850 (1850 का 37) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नियम 34 के खण्ड (i) से (v) में यथाविनिर्दिष्ट कोई शास्ति किसी भर्ती किए गए बल-सदस्य पर अधिरोपित करने वाला कोई आदेश सिवाय इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में जहाँ तक हो सके की गई जाँच के पश्चात् के सिवाय नहीं किया जाएगा।

(2) जब कभी अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय है कि भर्ती किए गए किसी बल-सदस्य के विरुद्ध अवचार या कदाचार किसी लांछन की सत्यता की जाँच के लिए आधार है तब वह स्वयं उसकी जाँच कर सके या उसकी सत्यता की जाँच के लिए कोई प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगा।

स्पष्टीकरण -- जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जाँच करता है वहाँ इस नियम के उपनियम (7) से उपनियम (18) में किसी निर्देश का अनुशासनिक प्राधिकारी के प्रतिनिर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा।

[3][(2क) जहाँ केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 3ग के अर्थान्तर्गत लैंगिक उत्पीड़न का कोई परिवाद हो तो ऐसे परिवादों की जांच के लिये केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में स्थापित परिवाद समिति, इन नियमों के प्रयोजन के लिये अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त जांच प्राधिकारी समझी जाएगी, और यदि लैंगिक उत्पीड़न के परिवादों में जांच करने के लिये परिवाद समिति के लिये पृथक् प्रक्रिया विहित न की गई हो तो परिवाद समिति यथासाध्य इन नियमों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसरण में जांच करेगी।]

(3) जहाँ इस नियम के अधीन नामांकित किसी बल-सदस्य के विरुद्ध जाँच करने की प्रस्थापना की जाती है वहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी निम्नलिखित लेखबद्ध करेगा या लेखबद्ध करवाएगा --

(i) निश्चित और सुस्पष्ट आरोप की मदों में अवचार या कदाचार के लांछन का सार;

(ii) प्रत्येक आरोप की मद के समर्थन में अवचार या कदाचार के लांछन का विवरण जिसमें निम्नलिखित हो :-

Scanned by CamScanner

35. क्षुद्र दण्ड -- हैड कांस्टेबल, कांस्टेबल [1][***] को चौदह दिन से अनधिक की कालावधि के लिए अतिरिक्त कवायद गार्ड ड्यूटी फटींग या अन्य ड्यूटी भी दंड के रूप में प्रदान की जा सकेगी।

स्पष्टीकरण -- क्षुद्र दण्ड आमतौर से इस अध्याय के नियम 38 में यथाउपबंधित आर्डरली रूप में दिए जाएंगे।

36. बड़ी शास्तियों को अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया -- (1) लोकसेवक [2][(जाँच)] अधिनियम, 1850 (1850 का 37) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना नियम 34 के खण्ड (i) से (v) में यथाविनिर्दिष्ट कोई शास्ति किसी भर्ती किए गए बल-सदस्य पर अधिरोपित करने वाला कोई आदेश सिवाय इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में जहाँ तक हो सके की गई जाँच के पश्चात् के सिवाय नहीं किया जाएगा।

(2) जब कभी अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय है कि भर्ती किए गए किसी बल-सदस्य के विरुद्ध अवचार या कदाचार किसी लांछन की सत्यता की जाँच के लिए आधार है तब वह स्वयं उसकी जाँच कर सके या उसकी सत्यता की जाँच के लिए कोई प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगा।

स्पष्टीकरण -- जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं जाँच करता है वहाँ इस नियम के उपनियम (7) से उपनियम (18) में किसी निर्देश का अनुशासनिक प्राधिकारी के प्रतिनिर्देश के रूप में अर्थ लगाया जाएगा।

[3][(2क) जहाँ केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के नियम 3ग के अर्थान्तर्गत लैंगिक उत्पीड़न का कोई परिवाद हो तो ऐसे परिवादों की जांच के लिये केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल में स्थापित परिवाद समिति, इन नियमों के प्रयोजन के लिये अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा नियुक्त जांच प्राधिकारी समझी जाएगी, और यदि लैंगिक उत्पीड़न के परिवादों में जांच करने के लिये परिवाद समिति के लिये पृथक् प्रक्रिया विहित न की गई हो तो परिवाद समिति यथासाध्य इन नियमों में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसरण में जांच करेगी।]

(3) जहाँ इस नियम के अधीन नामांकित किसी बल-सदस्य के विरुद्ध जाँच करने की प्रस्थापना की जाती है वहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी निम्नलिखित लेखबद्ध करेगा या लेखबद्ध करवाएगा --

(i) निश्चित और सुस्पष्ट आरोप की मदों में अवचार या कदाचार के लांछन का सार;

(ii) प्रत्येक आरोप की मद के समर्थन में अवचार या कदाचार के लांछन का विवरण जिसमें निम्नलिखित हो :-

Scanned by CamScanner

(क) भर्ती किए गए बल-सदस्य द्वारा की गई किसी स्वीकृति या संस्वीकृति सहित सभी सुसंगत तथ्यों का कथन;

(ख) दस्तावेजों की सूची जिसके द्वारा और साक्षियों की सूची जिनके द्वारा आरोप की मदों की सिद्धि किए जाने की प्रस्थापना की जाती है।

(ग) मामले को प्रस्तुत करने वाले अधिकारी के नियुक्ति आदेश की एक प्रति।

(4) अनुशासनिक प्राधिकारी भर्ती किए गए बल-सदस्य को आरोप की मदों, अवचार या कदाचार के लांछनों के कथन और दस्तावेज तथा साक्षियों की सूची जिसके द्वारा प्रत्येक आरोप की मद सिद्ध की जानी है, की एक प्रति परिदत्त करेगा या करवाएगा और भर्ती किए गए बल-सदस्य से ऐसे समय के भीतर जो विनिश्चित किया जाए उसकी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करने की अपेक्षा करेगा और यह कथन करने के लिए कि क्या वह व्यक्तिगत रूप से सुनवाई किए जाने की वांछा करता है या नहीं।

(5) (क) प्रतिरक्षा के लिखित कथन की प्राप्ति पर अनुशासनिक प्राधिकारी स्वयं ऐसे आरोप की मदों की जाँच कर सकेगा जो स्वीकृत नहीं की गई है या यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझता है तो उपनियम (2) के अधीन इस प्रयोजन के लिए जाँच प्राधिकारी को नियुक्त कर सकेगा जो निरीक्षक की रैंक से नीचे का न हो और जहाँ प्रतिरक्षा के उसके लिखित कथन में भर्ती किए गए बल-सदस्य द्वारा सभी आरोपों की मदें स्वीकृत कर ली गई हैं वहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी ऐसे साक्ष्य लेने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, प्रत्येक आरोप पर अपने निष्कर्ष अभिलिखित करेगा और उपनियम (20) से उपनियम (22) में अधिकथित रीति से आदेश पारित करेगा।

(ख) यदि भर्ती किए गए बल-सदस्य द्वारा कोई प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो अनुशासनिक प्राधिकारी आरोप की मदों की स्वयं जाँच करेगा या वह ऐसा करना आवश्यक समझता है तो इस प्रयोजन के लिए उपनियम (2) के अधीन कोई जाँच प्राधिकारी नियुक्त करेगा।

[1][(ग) जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी किसी आरोप की मद की जाँच स्वयं करता है या ऐसे आरोप की जाँच करने के लिए किसी जाँच प्राधिकारी को नियुक्त करता है, तो वह, आदेश द्वारा, आरोपों की मदों के समर्थन में उस मामले को अपनी ओर से प्रस्तुत करने के लिए बल के किसी ऐसे सदस्य को नियुक्त कर सकेगा जिसे मामले को प्रस्तुत करने वाले अधिकारी के रूप में जाना जाएगा।]

(6) अनुशासनिक प्राधिकारी जहाँ वह जाँच प्राधिकारी नहीं है जाँच प्राधिकारी को निम्नलिखित भेजेगा :

Scanned by CamScanner

(i) आरोप की मदों की और अवचार या कदाचार के लांछनों के कथन की एक प्रति;

(ii) भर्ती किए गए बल-सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिरक्षा के लिखित कथन, यदि कोई हों, की एक प्रति;

(iii) उपनियम (3) में निर्दिष्ट साक्षियों के कथन, यदि कोई हों, की एक प्रति;

(iv) भर्ती किए गए बल-सदस्य को उपनियम (3) में निर्दिष्ट दस्तावेजों के परिदान को साबित करने वाला साक्ष्य।

[1][(v) प्रस्तुत करने वाले अधिकारी के नियुक्ति आदेश की एक प्रति।]

(7) भर्ती किया गया बल-सदस्य आरोप की मदों की और अवचार या कदाचार के लांछन के कथन की उसके द्वारा प्राप्ति की तारीख से दस कार्यकरण के दिनों के भीतर ऐसी तारीख और ऐसे समय और स्थान पर जो जाँच प्राधिकारी इस निमित्त लिखित सूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे या आगे के दस दिन से अनधिक के समय के भीतर जो जाँच प्राधिकारी अनुज्ञात करे जाँच प्राधिकारी के समक्ष व्यक्तिगत रूप से हाजिर होगा।

(8) (क) इस प्रकार आरोपित भर्ती किया गया बल-सदस्य जाँच के स्थान पर तैनात किसी अन्य बल-सदस्य की सहायता से अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए जाँच प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञात किया जा सकेगा। उसकी प्रतिरक्षा सहायता के लिए वह तीन विकल्प देगा और नियंत्रण अधिकारी उसके द्वारा उपदर्शित किए गए तीन में किसी एक को प्रतिनियुक्त करेगा;

(ख) बल [2][***] सदस्य एक साथ तीन से अधिक मामलों को हाथ में नहीं ले सकेगा जिसमें वह प्रतिरक्षा सहायता दे रहा हो। तथापि, ऐसे व्यक्तियों के नियंत्रण प्राधिकारी जिससे सहायता लेने की वांछा की जाती है यदि लोकहित की ऐसी मांग है जो प्रतिरक्षा सहायक के रूप में उसके कार्यकरण के लिए अनुज्ञा देने से इंकार कर सकेगा।

(9) यदि भर्ती किया गया बल-सदस्य जिसने प्रतिरक्षा के अपने लिखित कथन में आरोप की किसी मद को स्वीकार नहीं किया है या प्रतिरक्षा का कोई लिखित कथन प्रस्तुत नहीं किया है जाँच प्राधिकारी के समक्ष हाजिर होता है, ऐसा प्राधिकारी उससे यह पूछेगा कि क्या वह दोषी है या प्रतिरक्षा के लिए कुछ कहेगा और यदि वह आरोप की किसी मद का दोषी होने का अभिवचन करता है, जाँच प्राधिकारी अभिवाक् अभिलिखित करेगा, अभिलेख पर हस्ताक्षर करेगा और उस पर भर्ती किए गए बल-सदस्य के हस्ताक्षर अभिप्राप्त करेगा।

[3][(10) (क) जाँच प्राधिकारी आरोप की उन मदों से संबंधित दोष के निष्कर्ष को लौटा देगा जिसके संबंध में भर्ती किया गया बल सदस्य दोषी होने का अभिवचन करता है;]

---

1. ... से प्रभावी)।

Scanned by CamScanner

(ख) जाँच प्राधिकारी, यदि भर्ती किया गया बल सदस्य विनिर्दिष्ट समय के भीतर उपस्थित होने में असफल रहता है या अभिवचन से इंकार करता है या उसका लोप करता है, प्रस्तुत करने वाले अधिकारी से ऐसा साक्ष्य पेश करने की अपेक्षा करेगा जिसके द्वारा वह आरोप की मदों को साबित करने का प्रस्ताव करता है और मामले को किसी अगली तारीख तक, जो तीस दिन से अधिक नहीं होगी, ऐसे आदेश के अभिलेख के बाद स्थगित कर सकेगा कि भर्ती किया गया बल सदस्य, अपनी प्रतिरक्षा की तैयारी करने के प्रयोजन के लिए --

(i) उपनियम (3) में निर्दिष्ट सूची में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों का, आदेश होने के पाँच दिन के भीतर या ऐसे और समय के भीतर जो पाँच दिन से अधिक नहीं होगा जैसाँ जाँच प्राधिकारी अनुज्ञात करे, निरीक्षण कर सकेगा;

(ii) उसकी ओर से परीक्षा किए जाने वाले साक्षियों की सूची प्रस्तुत कर सकेगा;

(iii) किन्हीं दस्तावेजों के अन्वेषण या प्रस्तुतिकरण, जो सरकार के कब्जे में हैं, परन्तु उपनियम (3) में निर्दिष्ट सूची में उल्लिखित नहीं है, के लिए, आदेश होने के दस दिनों के भीतर या ऐसे और समय के भीतर जो दस दिन से अधिक नहीं है, जैसा जाँच प्राधिकारी अनुज्ञात करे, कोई सूचना दे सकेगा।

(11) जाँच प्राधिकारी दस्तावेजों के प्रकटीकरण या पेश किए जाने के लिए सूचना की प्राप्ति पर उसे या उसकी प्रतियों को उस प्राधिकारी को जिसकी अभिरक्षा या कब्जे में दस्तावेज रखे हैं अग्रेषित करेगा जिसके साथ ऐसी अध्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट ऐसी तारीख तक दस्तावेजों के प्रकटीकरण के लिए अध्यपेक्षा होगी :

[1][परन्तु जाँच प्राधिकारी, उसके द्वारा लेखबद्ध किए गए कारणों से, ऐसे दस्तावेजों की, जो उसकी राय में से सुसंगत नहीं हैं, अध्यपेक्षा से इन्कार कर सकेगा।]

(12) उपनियम (11) में निर्दिष्ट अध्यपेक्षा की प्राप्ति पर प्रत्येक अध्यपेक्षा किए गए दस्तावेजों की अभिरक्षा या कब्जे वाला प्रत्येक अधिकारी जाँच प्राधिकारी के समक्ष उसे प्रस्तुत करेगा :

परन्तु यह कि यदि अध्यपेक्षित दस्तावेजों की अभिरक्षा या कब्जे वाले प्राधिकारी का ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे यह समाधान हो जाता है कि ऐसे सभी या किसी एक दस्तावेज का प्रकटीकरण लोकहित या राज्य की सुरक्षा के विरुद्ध होगा वह तद्नुसार जाँच प्राधिकारी को इसकी जानकारी देगा और जाँच प्राधिकारी ऐसी जानकारी मिलने पर उस सूचना को भर्ती किए गए बल-सदस्य को सूचित करेगा और उसके द्वारा दस्तावेजों के पेश किए जाने या प्रकटीकरण के लिए की गई अध्यपेक्षा को वापस लेगा।

[illegible] से प्रभावी)।

(13) [1][***]

(14) [1][***]

[2][(15) जाँच के लिए नियत तारीख को, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा या उसकी ओर से ऐसे मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएंगे, जिसके द्वारा आरोप की मदों को साबित किया जाना प्रस्थापित है। मामला प्रस्तुत करने वाले अधिकारी द्वारा या उसकी ओर से साक्षियों की परीक्षा की जाएगी और उनकी प्रति-परीक्षा भर्ती किए गए बल-सदस्य द्वारा या उसकी ओर से की जा सकेगी। मामला प्रस्तुत करने वाला अधिकारी, साक्षियों की, ऐसे किन्हीं विषयों पर, जिन पर उनकी प्रति-परीक्षा की गई है, पुनःपरीक्षा करने का हकदार होगा, किन्तु जाँच प्राधिकारी की अनुमति के बिना किसी नए विषय पर प्रति-परीक्षा नहीं करेगा। जाँच प्राधिकारी साक्षियों से ऐसे प्रश्न कर सकेगा, जिन्हें वह उचित समझता है।]

[2][(16) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की ओर से मामले को बन्द करने से पूर्व, जाँच प्राधिकारी को आवश्यक प्रतीत होता है तो वह अपने विवेकाधिकार से मामला प्रस्तुत करने वाले अधिकारी को ऐसे साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सकेगा, जो भर्ती किए गए बल-सदस्य को दी गई सूची में सम्मिलित नहीं किए गए हैं या स्वयं नए साक्ष्यों की मांग कर सकेगा या किसी साक्षी को पुनः बुला सकेगा और उसकी पुनः परीक्षा कर सकेगा और ऐसी दशा में भर्ती किया गया बल-सदस्य, यदि वह इसकी मांग करता है तो प्रस्तुत किए जाने वाले प्रस्थापित अतिरिक्त साक्ष्य की सूची की एक प्रति के लिए हकदार होगा और ऐसे नए साक्ष्य प्रस्तुत करने से पूर्व जाँच को तीन कार्य दिवसों के लिए, जिसमें स्थगन की तारीख और वह तारीख सम्मिलित नहीं होगी, जिस तक जाँच स्थगित की गई है, स्थगित कराने का हकदार होगा। जाँच प्राधिकारी भर्ती किए गए बल-सदस्य को, ऐसे दस्तावेजों की, उन्हें अभिलेख पर रखे जाने से पूर्व, निरीक्षण करने का एक अवसर देगा। जाँच प्राधिकारी भर्ती किए गए बल-सदस्य को भी तब नए साक्ष्य प्रस्तुत करने की अनुज्ञा दे सकेगा, तब उसकी राय में न्याय के हित में ऐसे साक्ष्य को प्रस्तुत करना आवश्यक है।

टिप्पण : साक्ष्य में किसी कमी को पूरा करने के लिए नए साक्ष्य प्रस्तुत करने या उनकी मांग करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी और न ही किसी साक्षी को पुनः बुलाया जाएगा। ऐसे साक्ष्य की केवल तभी मांग की जा सकेगी जब मूल रूप से प्रस्तुत किसी साक्ष्य में अन्तर्निहित कमी या त्रुटि हो।]

[2][(17) जब अनुशासनिक प्राधिकारी का मामला समाप्त कर दिया जाता है, तब भर्ती किए गए बल-सदस्य से अपनी प्रतिरक्षा, मौखिक या लिखित रूप में, जिसे भी वह अधिमान दे, का कथन करने की अपेक्षा की जाएगी। यदि प्रतिरक्षा मौखिक रूप से प्रस्तुत की जाती है तो उसे लेखबद्ध किया जाएगा और भर्ती किए गए बल-सदस्य द्वारा अभिलेख पर हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित होगा। प्रत्येक मामले में, प्रतिरक्षा के कथन की एक प्रति, मामला प्रस्तुत करने वाले अधिकारी को, यदि कोई नियुक्त किया गया हो, दी जाएगी।]

---

1. सा.का.नि. [illegible] 2003 से प्रभावी)।

Scanned by CamScanner

1[(18) (क) उसके पश्चात् भर्ती किए गए बल सदस्य की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा। भर्ती किया गया बल का सदस्य, यदि वह इसे अधिमान्यता देता है तो अपनी ओर से स्वयं परीक्षा कर सकेगा। उसके पश्चात् भर्ती किए गए बल-सदस्य द्वारा प्रस्तुत साक्षियों की परीक्षा की जाएगी और वे अनुशासनिक प्राधिकारी के साक्षियों को लागू उपबन्धों के अनुसार जाँच प्राधिकारी द्वारा प्रति-परीक्षा, पुनःपरीक्षा और परीक्षा के लिए दायी होंगे।

(ख) जाँच प्राधिकारी, भर्ती किए गए बल-सदस्य द्वारा अपना मामला समाप्त करने के पश्चात्, यदि भर्ती किए गए बल-सदस्य ने अपनी परीक्षा नहीं की है तो भर्ती किए गए बल-सदस्य को साक्ष्य में उसके विरुद्ध प्रतीत होने वाली किन्हीं परिस्थितियों को स्पष्ट करने में समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए साक्ष्य में उसके विरुद्ध प्रतीत हो रही किन्हीं परिस्थितियों के संबंध में उससे साधारणतया प्रश्न कर सकेगा या करेगा।

(ग) जाँच प्राधिकारी, साक्ष्य के प्रस्तुतिकरण के पूरा होने के पश्चात्, प्रस्तुत करने वाले अधिकारी, यदि कोई नियुक्त किया गया हो, भर्ती किए गए बल-सदस्य को सुन सकेगा या उनको अपने-अपने मामलों का लिखित संक्षिप्त विवरण फाइल करने की, यदि वे ऐसा चाहे, अनुमति दे सकेगा।

(घ) जब कभी कोई जाँच अधिकारी, सुनवाई और किसी जाँच मामलों में इसके सम्पूर्ण साक्ष्य या किसी भाग को अभिलिखित करने के पश्चात् उसमें अधिकारिता के प्रयोग को बन्द करता है और दूसरा उत्तरवर्ती जाँच प्राधिकारी, जिसको अधिकारिता प्राप्त है और उसका प्रयोग करता है, तब ऐसा उत्तरवर्ती जाँच प्राधिकारी, उसके पूर्वाधिकारी द्वारा इस प्रकार अभिलिखित या भागतः अभिलिखित और उसके स्वयं के द्वारा अभिलिखित साक्ष्य पर कार्य कर सकेगा :

परन्तु यदि उत्तरवर्ती जाँच अधिकारी की यह राय है कि न्याय के हित में, साक्षियों में से किसी साक्षी की, जिसका साक्ष्य पहले से ही अभिलिखित किया जा चुका है, और परीक्षा आवश्यक है तो वह ऐसे किसी साक्षियों को, जैसा इसमें इसके पहले उपबन्ध किया गया है, वापस बुला सकेगा, परीक्षा कर सकेगा, प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा कर सकेगा।

(ङ) यदि भर्ती किया गया बल-सदस्य, जिसको आक्षेप की मदों की प्रति परिदत्त की गई है, इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पहले लिखित कथन प्रस्तुत नहीं करता है या जाँच प्राधिकारी के समक्ष स्वयं उपस्थित नहीं होता है या अन्यथा असफल रहता है या इस नियम के उपबन्धों का पालन करने से इन्कार करता है तो जाँच अधिकारी, एकपक्षीय जाँच कर सकेगा।]

Scanned by CamScanner

(19) (i) जाँच की समाप्ति के पश्चात् एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिसमें निम्नलिखित होंगे --

(क) आरोप की मद और अवचार या कदाचार के लांछन का कथन;

(ख) आरोप की प्रत्येक मद की बाबत भर्ती किए गए बल-सदस्य की प्रतिरक्षा;

(ग) आरोप की प्रत्येक मद की बाबत साक्ष्य का निर्धारण;

(घ) आरोप की प्रत्येक मद के संबंध में निष्कर्ष और उसके कारण।

स्पष्टीकरण -- यदि जाँच प्राधिकारी की राय में जाँच की कार्यवाहियों से आरोप की मूल मद से भिन्न आरोप की कोई मद सिद्ध होती है तो वह आरोप की ऐसी मद के संबंध में अपने निष्कर्षों का अभिलेख कर सकेगा :

परन्तु यह आरोप कि ऐसी मद के संबंध में निष्कर्षों को अभिलिखित नहीं किया जाएगा जब तक कि भर्ती किए गए बल-सदस्य ने या तो उस तथ्य को जिस पर आरोप की ऐसी मद आधारित है स्वीकार नहीं किया है या उसको आरोप की ऐसी मद के विरुद्ध स्वयं की प्रतिरक्षा का उचित अवसर नहीं मिला है।

(ii) जाँच प्राधिकारी जहाँ वह स्वयं अनुशासनिक प्राधिकारी नहीं है वहाँ जाँच के अभिलेखों को अनुशासनिक प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित होगा --

(क) खण्ड (i) के अधीन उसके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट;

(ख) भर्ती किए गए सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिरक्षा का लिखित कथन, यदि कोई हो;

(ग) जाँच के अनुक्रम में पेश की गई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य;

(घ) जाँच के अनुक्रम के दौरान भर्ती किए गए सदस्य [1][या प्रस्तुत करने वाला अधिकारी] द्वारा फाइल किया गया लिखित पक्षसार यदि कोई हो;

(ङ) जाँच के संबंध में अनुशासनिक प्राधिकारी और जाँच प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेश यदि कोई हों।

(20) (i) जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी कोई छोटी शास्ति अधिरोपित करने के लिए सक्षम है और नियम 34 में विनिर्दिष्ट बड़ी शास्तियों में से किसी शास्ति को अधिरोपित करने के लिए सक्षम नहीं है उसने किसी आरोप की मदों की जाँच स्वयं की है या जाँच करवाई है और वह प्राधिकारी अपनी स्वयं के निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए या उसके द्वारा नियुक्त किसी जाँच प्राधिकारी के निष्कर्षों में से किसी निष्कर्ष के संबंध में उसके विनिश्चय को ध्यान में रखते हुए उसकी यह राय है कि नियम 34 में

Scanned by CamScanner

विनिर्दिष्ट बड़ी शास्ति भर्ती किए गए सदस्य पर अधिरोपित की जानी चाहिए वहाँ वह प्राधिकारी जाँच के अभिलेखों को ऐसे अनुशासनिक प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा जो बड़ी शास्तियों में से किसी शास्ति को अधिरोपित करने के लिए सक्षम है।

(ii) अनुशासनिक प्राधिकारी जिसको अभिलेख इस प्रकार अग्रेषित किए जाते हैं अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई कर सकेगा या यथास्थिति, उस अनुशासनिक प्राधिकारी या जाँच प्राधिकारी को विप्रेषित कर सकेगा जिससे अभिलेख अग्रेषित किया गया था या उस जाँच प्राधिकारी को किसी बिन्दु पर आगे जाँच करने और रिपोर्ट देने के लिए भेजेगा।

(21) (i) अनुशासनिक प्राधिकारी यदि वह स्वयं जाँच प्राधिकारी नहीं है जाँच के अभिलेखों पर विचार कर सकेगा और प्रत्येक आरोप पर उसके निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा। अनुशासनिक प्राधिकारी उसके द्वारा अभिलिखित किए गए कारणों से जाँच प्राधिकारी को आगे जाँच और रिपोर्ट के लिए उस मामले को विप्रेषित करेगा और जाँच प्राधिकारी जहाँ तक हो सके इस नियम के उपबंधों के अनुसार आगे जाँच करने के लिए उस पर अग्रसर होगा।

(ii) अनुशासनिक प्राधिकारी यदि आरोप के किसी मद पर जाँच प्राधिकारी के निष्कर्षों से असहमत है तो ऐसी असहमति के लिए उसके कारणों को अभिलिखित करेगा और उक्त प्रयोजन के लिए अभिलेख पर साक्ष्य पर्याप्त है तो ऐसे आरोप पर अपने स्वयं के निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।

[1][(iii) अनुशासनिक प्राधिकारी, अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा की गई जाँच, यदि कोई हो, की रिपोर्ट की एक प्रति या जहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी, जाँच प्राधिकारी नहीं है, वहाँ जाँच प्राधिकारी की रिपोर्ट की एक प्रति असहमति, यदि कोई हो, के कारणों सहित और, और किसी आरोप की मद पर अपने स्वयं के निष्कर्षों को अभिलिखित कर भर्ती किए गए बल-सदस्य को अग्रेषित करेगा या अग्रेषित कराएगा जिसे उसका लिखित अभ्यावेदन, यदि वह ऐसा चाहता है, प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा या पन्द्रह दिनों के भीतर इस बात का ध्यान किए बिना कि रिपोर्ट भर्ती किए गए बल-सदस्य के पक्ष में है या नहीं, अनुशासनिक प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

(iv) अनुशासनिक प्राधिकारी भर्ती किए गए बल-सदस्य द्वारा, नियम 36 के उपनियम (22) में यथाउपबन्धित रीति में अगली कार्यवाही से पहले, प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन पर, यदि कोई हो, विचार करेगा।]

Scanned by CamScanner

(22) (i) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की, आरोप की सभी या किसी मद पर निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए यह राय है कि नियम 34 में विनिर्दिष्ट किसी लघुशास्ति भर्ती किए गए सदस्य पर अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह नियम 37 में किसी बात के होते हुए भी ऐसी शास्ति को अधिरोपित करने का आदेश करेगा;

(ii) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की आरोप की सभी या किसी मद पर उसके निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए और जाँच के अनुक्रम के दौरान दी गई साक्ष्य के आधार पर यह राय है कि नियम 34 में विनिर्दिष्ट बड़ी शास्तियों में से कोई शास्ति भर्ती किए गए सदस्य पर अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह ऐसी शास्ति अधिरोपित करने का आदेश करेगा और यह आवश्यक नहीं होगा कि भर्ती किए गए सदस्य के अधिरोपित किए जाने के लिए प्रस्थापित शास्ति पर अभ्यावेदन करने का कोई अवसर दिया जाए।

37. छोटी शास्ति अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया -- (1) नियम 34 में विनिर्दिष्ट किसी छोटी शास्ति को अधिरोपित करने का कोई आदेश निम्नलिखित के पश्चात् ही किया जाएगा --

(क) अवचार या कदाचार के लांछनों की लिखित में भर्ती किए गए सदस्य को सूचना देने जिन पर उसके विरुद्ध कार्रवाई के लिए प्रस्थापना की जाती है और ऐसा अभ्यावेदन करने का उचित अवसर देगा जो वह प्रस्ताव के विरुद्ध करना चाहता है;

(ख) नियम 36 के उपनियम (3) से (22) में अधिकथित रीति में यदि अनुशासनिक प्राधिकारी ऐसा चाहता है जो जाँच करने ;

(ग) खण्ड (क) के अधीन भर्ती किए गए सदस्य द्वारा पेश किया गया अभ्यावेदन यदि कोई हो, को लेने और खण्ड (ख) के अधीन की गई जाँच का अभिलेख कोई हो, पर विचार करने; और

(घ) अवचार या कदाचार के प्रत्येक लांछन पर निष्कर्षों के अभिलिखित करने।

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) में किसी बात के होते हुए भी, यदि उस उपनियम के खण्ड (क) के अधीन सरकारी सेवक द्वारा किए गए अभ्यावेदन यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् यह प्रस्थापना की जाती है कि वेतन की वृद्धियाँ रोकी जाएँ और ऐसी वेतन वृद्धियों के रोके जाने से सरकारी सेवक को संदेय पेंशन की राशि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है या 3 साल से अधिक की अवधि के लिए वेतन की वृद्धियाँ रोकी जाएँ या किसी अवधि के लिए संचयी प्रभाव के साथ वेतन की वृद्धियाँ रोकी जाएँ तो किसी ऐसी शास्ति को भर्ती किए गए बल-सदस्य पर अधिरोपित करने का कोई आदेश करने से पूर्व नियम 36 के उपनियम (3) से उपनियम (22) में अधिकथित रीति में जाँच की जाएगी।

(3) ऐसे मामलों में कार्यवाहियों के अभिलेखों के अन्तर्गत निम्नलिखित होंगे --

(i) उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के प्रस्ताव की इस प्रकार आरोप आरोपित भर्ती किए गए सदस्य को सूचना की एक प्रति;

Scanned by CamScanner

(ii) उसको प्रदत्त की गई अवचार या कदाचार के लांछन के कथन की एक प्रति;

(iii) उसका अभ्यावेदन यदि कोई हो;

(iv) जाँच के दौरान पेश किया गया साक्ष्य यदि कोई है;

(v) अवचार या कदाचार के प्रत्येक लांछन पर निष्कर्ष;

(vi) प्रत्येक मामले के संबंध में उसके कारणों के साथ आदेश।

38. क्षुद्र दण्ड अधिरोपित करने के लिए प्रक्रिया -- भर्ती किए गए ऐसे बल-सदस्य जो हैड कांस्टेबल के रैंक से ऊँची रैंक के नहीं है द्वारा क्षुद्र अनुशासन और हल्के अवचार के मामलों के संबंध में आर्डरली रूम में जाँच की जाएगी और उन्हें निपटाया जाएगा। नियम 35 में वर्णित दण्ड आर्डरली रूम रजिस्टर में जो ऐसे दण्डों को अभिलेख रखने के लिए रखे जाएंगे संक्षिप्त कार्यवाहियों का अभिलेख करने के पश्चात् प्रदान किए जा सकेंगे। आर्डरली रूम में दिए गए दण्ड के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।

39. कतिपय मामलों में विशेष प्रक्रिया -- नियम 36 से नियम 38 में किसी बात के होते हुए भी --

(i) जहाँ कोई शास्ति आचरण के ऐसे आधार पर भर्ती किए गए किसी बल-सदस्य पर अधिरोपित की जाती है जिसके परिणामस्वरूप किसी आपराधिक आरोप पर उसकी दोषसिद्धि हुई है; या

(ii) जाँच अनुशासनिक प्राधिकारी का, ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा अभिलिखित किए जाएंगे यह समाधान हो जाता है कि इन नियमों में उपबंधित रीति में जाँच करना युक्तियुक्त तौर पर साध्य नहीं है; या

(iii) जहाँ राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि राज्यों की सुरक्षा के हित में इन नियमों में उपबंधित रीति में कोई जाँच करना समीचीन नहीं है वहाँ अनुशासनिक प्राधिकारी मामले की परिस्थितियों पर विचार कर सकेगा और उनके आधार पर ऐसा आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे :

परन्तु यह कि भर्ती किए गए बल-सदस्य को खण्ड (i) के अधीन मामले में कोई आदेश किए जाने के पूर्व अधिरोपित करने के लिए प्रस्थापित शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जा सकेगा।

40. राज्य सरकारें आदि से लिए गए भर्ती किए गए बल-सदस्यों में उपबंध -- (1) जहाँ निलंबन का आदेश किया जाता है या भर्ती किए गए बल-सदस्य के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाहियाँ की जाती हैं जिसकी सेवाएँ केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग से या राज्य सरकार या उसके अधीनस्थ प्राधिकारी से उधार ली गई हैं वहाँ उसकी सेवाएँ उधार देने वाले प्राधिकरण को (जिसे

Scanned by CamScanner

इसके पश्चात् इन नियमों में "उधार देने वाला प्राधिकारी" कहा गया है) तुरन्त यथास्थिति, भर्ती किए गए बल-सदस्य के निलम्बन के आदेश की परिस्थितियों या अनुशासनिक कार्यवाहियों के प्रारम्भ के संबंध में सूचित किया जाएगा।

(2) ऐसे भर्ती किए गए बल-सदस्य के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाहियों में निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय है कि नियम 34 के खण्ड (vi) से (x) में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति उस पर अधिरोपित की जानी चाहिए वह नियम 36 के उपनियम 22(i) के उपबंधों के अधीन रहते हुए उधार दाता प्राधिकरण से परामर्श के पश्चात् उस मामले के संबंध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे --

(i) परन्तु उधार लेने वाले प्राधिकरण और उधार देने वाले प्राधिकरण के बीच मतभेद की दशा में ऐसे भर्ती किए बल-सदस्य की सेवाएँ उधार देने वाले प्राधिकरण की सुपुर्दगी पर प्रतिस्थापित की जाएंगी।

(ii) यदि अनुशासनिक प्राधिकारी की यह राय है कि नियम 34 के खण्ड (i) से (v) में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति ऐसे बल-सदस्य पर अधिरोपित की जानी चाहिए तब वह उधार देने वाले प्राधिकारी की सुपुर्दगी पर ऐसे बल-सदस्य की सेवाओं को प्रतिस्थापित करेगा और ऐसी कार्रवाई के लिए जो वह आवश्यक समझे जाँच की कार्रवाईयों को उसको भेजेगा।

41. राज्य सरकार आदि को उधार दिए गए भर्ती किए गए बल-सदस्य के संबंध में उपबंध -- (1) जहाँ किसी भर्ती किए गए बल-सदस्य की सेवाएँ केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य विभाग या राज्य सरकार को या अन्य प्राधिकरण जिसे [1][इसमें इसके पश्चात्] इस नियम में "उधार लेने वाले प्राधिकरण" कहा गया है को उधार दी जाती हैं वहाँ उधार लेने वाले प्राधिकरण को ऐसे भर्ती किए गए बल-सदस्य को निलंबित करने के लिए नियुक्त प्राधिकारी की ओर उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने के प्रयोजन के लिए अनुशासनिक प्राधिकारी की शक्तियाँ प्राप्त होंगी :

परन्तु यह कि उधार लेने वाला प्राधिकरण उस प्राधिकरण को जिसने भर्ती किए गए बल-सदस्य की सेवाएँ उधार दी हैं जिसे इसमें इसके पश्चात् इन नियम में "उधार देने वाले प्राधिकरण" कहा गया है को यथास्थिति उन परिस्थितियों की जिसके फलस्वरूप ऐसे भर्ती किए गए बल-सदस्य के निलंबन का आदेश हुआ है या अनुशासनिक कार्यवाहियों के प्रारंभ की तुरन्त सूचना देगा।

(2) भर्ती किए गए बल-सदस्य के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्यवाहियों में निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए :-

1. [illegible] 2003 से प्रभावी)।

Scanned by CamScanner

(i) यदि उधार लेने वाले प्राधिकरण की यह राय है कि नियम 34 के खण्ड (iv) से (x) में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति ऐसे सदस्य पर अधिरोपित की जानी चाहिए तब वह उधारदाता प्राधिकरण से परामर्श के पश्चात् उस मामले के संबंध में ऐसे आदेश कर सकेगा जो वह आवश्यक समझे :

परन्तु उधार लेने वाले प्राधिकरण और उधार देने वाले प्राधिकरण के बीच मतभेद की दशा में ऐसे भर्ती किए गए बल-सदस्य की सेवाएँ उधार देने वाले प्राधिकरण की सुपुर्दगी में प्रतिस्थापित की जाएगी;

(ii) यदि उधार लेने वाले प्राधिकरण की यह राय है कि नियम 34 के खण्ड (i) से (v) में विनिर्दिष्ट कोई शास्ति भर्ती किए गए बल-सदस्य पर अधिरोपित की जानी चाहिए तो वह उधार देने वाले प्राधिकरण की सुपुर्दगी में उसकी सेवाओं को प्रतिस्थापित करेगा और जाँच की कार्यवाहियों को पारेषित करेगा और उसके पश्चात् उधार लेने वाले प्राधिकरण यदि [1][वह] अनुशासनिक प्राधिकारी है तो उस पर ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जो आवश्यक समझे :

परन्तु यह कि किसी ऐसे आदेश के पारित करने के पूर्व अनुशासनिक प्राधिकरण नियम 36 के उपनियम (22) के उपबंधों की अनुपालना करेगा।

स्पष्टीकरण -- अनुशासनिक प्राधिकरण उधार लेने वाले प्राधिकारी द्वारा उसको पारेषित जाँच के अभिलेख पर इस खण्ड के अधीन कोई आदेश कर सकेगा या नियम 36 के अनुसार जहाँ तक हो सके जैसा वह आवश्यक समझे आगे ऐसी जाँच करने के पश्चात् आदेश कर सकेगा।

42. रैंक आदि में अवनति -- भर्ती किए गए किसी बल-सदस्य को उस रैंक से नीचे की रैंक में अवनत नहीं किया जाएगा जिसमें उसकी सेवा में प्रथम नियुक्ति हुई थी न ही उसे इस अर्थ में स्थायी रूप से अवनत किया जाएगा कि वह यदि उसकी पश्चातवर्ती सेवा कितनी ही सराहनीय रही हो पुनः प्रोन्नति के लिए कभी पात्र नहीं हो सकेगा। जब किसी निम्नतर रैंक वर्ग, श्रेणी या किसी निम्नतर समय मापमान या उस समय मापमान में किसी निम्नतर प्रक्रम अवनति का आदेश किया जाता है तब आदेश में ऐसी अवनति पर निम्नतर रैंक में स्थिति तथा वह अवधि जिसके लिए अवनति प्रभावी होती है भी विनिर्दिष्ट होगी।

43. वेतन वृद्धि का रोका जाना -- दंड के रूप में वेतन वृद्धि रोकने की दशा में आदेश उस अवधि का कथन करेगा जिसके लिए वेतन वृद्धि रोकी गई है और क्या उसका आगे वेतन वृद्धि रोकने का प्रभाव होगा या नहीं।

1. सा.का.नि

Scanned by CamScanner

अध्याय 11

अपील, पुनरीक्षण और आवेदन

44. निलंबन के आदेश के विरुद्ध अपील -- भर्ती किया गया बल-सदस्य निलंबन के आदेश के विरुद्ध उस प्राधिकरण को अपील कर सकेगा जिसकी वह प्राधिकरण जिसने वह आदेश किया है या किया गया समझा गया है सीधे अधीन है।

45. आदेश जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी -- इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी --

(i) अन्तर्वर्ती प्रकृति का या [1][सहायक कदम] की प्रकृति का या निलंबन के आदेश से भिन्न अनुशासनिक कार्यवाहियों के निपटान का कोई आदेश; और

(ii) नियम 36 के अधीन जाँच के क्रम में जाँच प्राधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश।

46. शास्तियाँ अधिरोपित करने के आदेश के विरुद्ध अपील -- (1) भर्ती किया गया सदस्य निम्नलिखित सभी या किसी आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा अर्थात् :-

(i) नियम 33 के अधीन किया गया या किया गया समझा गया निलंबन का आदेश;

(ii) अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा या किसी अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा किया गया नियम 34 में विनिर्दिष्ट किसी शास्ति को अधिरोपित करने वाला आदेश।

(2) ऐसी अपील उस प्राधिकारी से अव्यवहित वरिष्ठ प्राधिकारी को की जाएगी जिसमें वह शास्ति अधिरोपित की है।

टिप्पण --

(i) उप महानिरीक्षक के आदेश के विरुद्ध अपील सेक्टर महानिरीक्षक को और सेक्टर महानिरीक्षक के आदेश के विरुद्ध महानिदेशक को होगी।

(ii) बल मुख्यालय पर जिसके अन्तर्गत उप महानिरीक्षक (प्रशिक्षण और अग्निशमन) भी हैं, के आदेश के विरुद्ध अपील महानिरीक्षक (मुख्यालय) के आदेश के विरुद्ध महानिदेशक को होगी।

(iii) महानिदेशक के आदेश के विरुद्ध अपील केन्द्रीय सरकार को होगी।

(iv) जहाँ वह व्यक्ति जिसने वह आदेश किया है जिसकी अपील की गई है उसकी पश्चातवर्ती नियुक्ति के कारण या अन्यथा ऐसे आदेश की जाँच की बाबत अपील प्राधिकारी बन जाता है वहाँ ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील उस प्राधिकारी को होगी जिसका ऐसा व्यक्ति अव्यवहित अधीनस्थ है।

---

1. सा.का.नि. ... [illegible]

Scanned by CamScanner

अध्याय 11

अपील, पुनरीक्षण और आवेदन

44. निलंबन के आदेश के विरुद्ध अपील -- भर्ती किया गया बल-सदस्य निलंबन के आदेश के विरुद्ध उस प्राधिकरण को अपील कर सकेगा जिसकी वह प्राधिकरण जिसने वह आदेश किया है या किया गया समझा गया है सीधे अधीन है।

45. आदेश जिसके विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी -- इस अध्याय में किसी बात के होते हुए भी निम्नलिखित के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी --

(i) अन्तर्वर्ती प्रकृति का या [1][सहायक कदम] की प्रकृति का या निलंबन के आदेश से भिन्न अनुशासनिक कार्यवाहियों के निपटान का कोई आदेश; और

(ii) नियम 36 के अधीन जाँच के क्रम में जाँच प्राधिकारी द्वारा पारित कोई आदेश।

46. शास्तियाँ अधिरोपित करने के आदेश के विरुद्ध अपील -- (1) भर्ती किया गया सदस्य निम्नलिखित सभी या किसी आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा अर्थात् :-

(i) नियम 33 के अधीन किया गया या किया गया समझा गया निलंबन का आदेश;

(ii) अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा या किसी अपील या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा किया गया नियम 34 में विनिर्दिष्ट किसी शास्ति को अधिरोपित करने वाला आदेश।

(2) ऐसी अपील उस प्राधिकारी से अव्यवहित वरिष्ठ प्राधिकारी को की जाएगी जिसमें वह शास्ति अधिरोपित की है।

टिप्पण --

(i) उप महानिरीक्षक के आदेश के विरुद्ध अपील सेक्टर महानिरीक्षक को और सेक्टर महानिरीक्षक के आदेश के विरुद्ध महानिदेशक को होगी।

(ii) बल मुख्यालय पर जिसके अन्तर्गत उप महानिरीक्षक (प्रशिक्षण और अग्निशमन) भी हैं, के आदेश के विरुद्ध अपील महानिरीक्षक (मुख्यालय) के आदेश के विरुद्ध महानिदेशक को होगी।

(iii) महानिदेशक के आदेश के विरुद्ध अपील केन्द्रीय सरकार को होगी।

(iv) जहाँ वह व्यक्ति जिसने वह आदेश किया है जिसकी अपील की गई है उसकी पश्चातवर्ती नियुक्ति के कारण या अन्यथा ऐसे आदेश की जाँच की बाबत अपील प्राधिकारी बन जाता है वहाँ ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील उस प्राधिकारी को होगी जिसका ऐसा व्यक्ति अव्यवहित अधीनस्थ है।

1. सा.का.नि. ... (9-6-2003 से प्रभावी)।

Scanned by CamScanner

(3) कोई दूसरी अपील नहीं होगी किन्तु जब अपील प्राधिकारी जिसके विरुद्ध अपील की गई है उस शास्ति से उच्चतर शास्ति अधिरोपित करता है तब उस अपील प्राधिकारी से ठीक वरिष्ठ प्राधिकारी को अपील होगी।

47. अपील के लिए परिसीमा की अवधि -- इन नियमों के अधीन कोई अपील ग्रहण की जाएगी जब तक कि वह उस तारीख से जिसको अपीलार्थी उस आदेश की प्रति प्राप्त करता है जिसके विरुद्ध अपील की गई है, 30 दिन की अवधि के भीतर प्रस्तुत नहीं की जाती है :

परन्तु अपील प्राधिकारी उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी का समय के भीतर अपील न करने का पर्याप्त कारण था।

48. अपील का प्ररूप और अंतरवस्तु -- (1) अपील प्रस्तुत करने वाला प्रत्येक भर्ती किया गया बल-सदस्य अपने स्वयं के नाम से पृथक् रूप से अपील कर सकेगा।

(2) अपील उस प्राधिकारी को संबोधित की जाएगी जिसको अपील [1][की जाती है और इसमें] वे सभी तात्विक कथन और तर्क होंगे जिन पर अपीलार्थी निर्भर करता है तथा उसमें कोई अनादरपूर्ण या अनुचित भाषा नहीं होगी और वह स्वयं में पूर्ण होगा।

49. अपील का पेश किया जाना -- (1) अपीलार्थी ऐसी अपील को उस प्राधिकारी को पेश करेगा जिसको वह आदेश किया था जिस आदेश के विरुद्ध अपील की गई है :

परन्तु यह कि यदि अपीलार्थी ऐसी अपील के पेश करने के समय उस प्राधिकारी के अधीन सेवारत नहीं है तब उस अपील को उस प्राधिकारी को पेश करेगा जिसके अधीन वह सेवारत है और वह प्राधिकारी उसे तुरन्त समुचित प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा। यदि अपीलार्थी सेवा में नहीं है तो वह उसकी अपील को सीधे अपील प्राधिकारी को पेश करेगा और अपील की एक प्रति अपीलार्थी द्वारा उस प्राधिकारी को भी अग्रेषित की जाएगी जिसने वह आदेश किया था जिसके विरुद्ध अपील की गई है।

50. अपीलों का रोका जाना -- (1) वह प्राधिकारी जिसने वह आदेश किया है जिसके विरुद्ध अपील की गई है अपील को रोक सकेगा यदि :-

(i) यह ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील है जिसके विरुद्ध नियम 45 के अधीन कोई अपील नहीं होती है; या

(ii) यह नियम 48 के अधीन के अनुरूप नहीं है; या

(iii) यह नियम 47 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पेश नहीं की गई और विलम्ब के लिए पर्याप्त कारण दर्शित नहीं किया गया है; या

(iv) यह पहले से विनिश्चित किसी अपील की पुनरावृत्ति है और परिस्थितियों के कोई नए तथ्य नहीं दिए गए हैं :

1. सा.का.नि. ... से प्रभावी)।

Scanned by CamScanner

परन्तु यह कि कोई अपील केवल इस आधार पर रोकी गई है कि वह नियम 48 के उपबन्धों के अनुरूप नहीं थी अपीलार्थी को लौटा दी जाएगी और यदि उक्त उपबन्धों की अनुपालना के पश्चात् उसके 30 दिन के भीतर पुनः पेश की जाती है तो उसे नहीं रोका जाएगा।

(2) जहाँ अपील इस नियम के उपनियम (1) के अधीन किन्हीं आधारों पर रोकी गई है वहाँ अपीलार्थी को उसके लिए तथ्यों और उसके लिए कारणों की सूचना दी जाएगी।

51. **अपील का पारेषण** -- वह प्राधिकारी जिसने वह आदेश किया है जिसके विरुद्ध अपील की गई है ऐसी अपील प्राप्ति पर बिना किसी परिहार्य विलम्ब के और अपील प्राधिकारी से किन्हीं निर्देशों की प्रतीक्षा किए बिना जब तक अपील नियम 50 के अधीन नहीं रोकी जाती है, अपील प्राधिकारी को सुसंगत अभिलेखों के साथ उसे अग्रेषित करेगा।

52. **अपील का विचारण** -- (1) निलम्बन के आदेश के विरुद्ध अपील की दशा में अपील प्राधिकारी यह विचार करेगा कि क्या [1][नियम 33] के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए मामले की परिस्थितियों को ध्यान में रखते निलम्बन का आदेश न्यायोचित है या नहीं और तद्नुसार उसे पुष्ट या निरस्त कर देगा।

(2) नियम 34 में विनिर्दिष्ट किसी शास्ति को अधिरोपित करने वाले या उक्त नियमों के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति को बढ़ाने वाले आदेश के विरुद्ध अपील की दशा में अपील प्राधिकारी निम्नलिखित विचार करेगा --

(क) क्या इन नियमों में अधिकथित प्रक्रिया का अनुपालन किया गया है या नहीं यदि नहीं तो क्या ऐसी अनुपालना से भारत के संविधान के किन्हीं उपबंधों का अतिक्रमण हुआ है या न्याय नहीं हो पाया है;

(ख) क्या अनुशासनिक प्राधिकारी के निष्कर्ष अभिलेख पर साक्ष्य के आधार पर समर्थित हैं; और

(ग) क्या अधिरोपित शास्ति या बढ़ाई गई शास्ति अधिक है या पर्याप्त है या अपर्याप्त है और --

(i) शास्ति की पुष्टि करने, बढ़ाने, कम करने या अपास्त करने; या

(ii) उस प्राधिकारी को, जिसने शास्ति को अधिरोपित किया था या बढ़ाया था या किसी अन्य प्राधिकारी को ऐसे निदेशों के साथ जो मामले की परिस्थितियों में वह ठीक समझे मामले को विप्रेषित करने के आदेश पारित करेगा :

---

1. सा.का.नि. 462(अ) [illegible] (9-6-2003 से प्रभावी)।

Scanned by CamScanner

[1][(iii) किसी अन्य मामले में किसी वर्धित शास्ति को अधिरोपित करने वाला आदेश तब तक नहीं किया जाएगा तब तक कि अपीलार्थी को, यथाशक्य नियम 37 के उपबन्धों के अनुसार, ऐसी वर्धित शास्ति के विरुद्ध कोई अभ्यावेदन करने के लिए, कोई युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो।]

परन्तु --

(i) यदि ऐसी बढ़ाई गई शास्ति जिसे अपील प्राधिकारी अधिरोपित करना चाहता है, वह नियम 34 के खण्ड (i) से (v) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से एक है और मामले में नियम 36 के अधीन पहले से जाँच नहीं की गई है तब अपील प्राधिकारी नियम 39 के उपबंधों के अधीन रहते हुए स्वयं ऐसी जाँच करेगा या निदेश देगा कि ऐसी जाँच नियम 36 के अनुसार की जाए और उसके पश्चात् ऐसी जाँच की कार्यवाहियों पर विचार करने के पश्चात् ऐसे आदेश करेगा जो वह ठीक समझे, और

(ii) यदि बढ़ाई गई शास्ति जिसे अपील प्राधिकारी अधिरोपित करना चाहता है, वह नियम 34 के खण्ड (i) से (v) में विनिर्दिष्ट शास्तियों में से एक है और मामले में नियम 36 के अधीन जाँच पहले ही हो गई है तब अपील प्राधिकारी ऐसा आदेश करेगा जो वह ठीक समझे।

53. अपील में के आदेशों का परिपालन -- वह प्राधिकारी जिसने वह आदेश किया है जिसके विरुद्ध अपील की गई है अपील प्राधिकारी द्वारा पारित आदेशों का पालन करवाएगा।

[2][**54. पुनरीक्षण --** (1) आदेश करने वाले प्राधिकारी से उच्चतर कोई प्राधिकारी स्वप्रेरणा से या अन्यथा किसी जाँच के अभिलेख की मांग कर सकेगा और इन नियमों के अधीन किए गए किसी आदेश की पुनरीक्षा कर सकेगा, और --

(क) आदेश की पुष्टि, उसमें उपांतरण या उसे अपास्त कर सकेगा; या

(ख) आदेश द्वारा अधिरोपित किसी शास्ति की पुष्टि कर सकेगा, उसे घटा, बढ़ा या अपास्त कर सकेगा या जहाँ कोई शास्ति अधिरोपित नहीं की गई हो, वहाँ कोई शास्ति अधिरोपित कर सकेगा; या

(ग) आदेश करने वाले प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी को यह निदेश करते हुए भेज सकेगा कि ऐसा प्राधिकारी ऐसी और जाँच करे जिसे वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे; या

(घ) पुनरीक्षित किए जाने के लिए प्रस्थापित आदेश को संसूचित किए जाने की तारीख से छह मास के भीतर ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जिसे वह उचित समझे :

Scanned by CamScanner

परन्तु कोई पुनरीक्षण प्राधिकारी किसी शास्ति को अधिरोपित करने या उसे बढ़ाने वाला आदेश तब तक नहीं करेगा, जब तक संबंधित भर्ती किए गए बल सदस्य को प्रस्थापित शास्ति के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का उचित अवसर न दे दिया गया हो और जहाँ नियम 34 के खंड (i) से खंड (v) तक में विनिर्दिष्ट किसी शास्ति को अधिरोपित करने या पुनरीक्षित किए जाने वाले आदेश द्वारा अधिरोपित किसी शास्ति को उन खण्डों में विनिर्दिष्ट किसी शास्ति द्वारा बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है और मामले में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम, 2001 के नियम 36 के अधीन जाँच, यदि कोई हो, पहले ही नहीं की गई है तो उपर्युक्त नियमों में अधिकथित रीति में जाँच करने के पश्चात् ही ऐसी शास्ति अधिरोपित की जाएगी।

(2) अपीलों से संबंधित नियम 52 के उपबन्ध, जहाँ तक हो सके, पुनरीक्षणाधीन ऐसे आदेशों को लागू होंगे।

(3) केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर इस विषय में जारी किए गए आदेश और अनुदेश, यथावश्यक परिवर्तनों सहित उसी प्रकार लागू होंगे जैसे वे केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के अधीन लागू होते हैं।

55. अकार्य दिन -- इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, अनुशासनिक प्राधिकारी भर्ती किए गए किसी बल सदस्य पर शास्ति अधिरोपित करने के लिए अंतिम आदेश पारित करते समय या अपील प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी ऐसी कार्रवाई के विरुद्ध संबद्ध भर्ती किए गए किसी बल सदस्य को कारण बताने के लिए अवसर देने के पश्चात् उन आरोपों जिसके परिणामस्वरूप ये शास्तियाँ अधिरोपित की गई हैं, ऐसे भर्ती किए गए बल-सदस्य को पदच्युत किए जाने, हटाए जाने या अनिवार्यतः सेवानिवृत्ति की शास्तियों को अपास्त करने के पश्चात् भर्ती किए गए बल-सदस्य को सेवा में पुनः स्थापित करने पर वह ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे यह आदेश कर सकेगा कि पदच्युत किए जाने, हटाए जाने या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तारीख पुनःस्थापित किए जाने की तारीख के बीच की मध्यवर्ती कालावधि को सेवाओं के प्रयोजनों के लिए अकार्य दिन माना जाएगा।

56. याचिकाएँ -- (1) भर्ती किया गया कोई बल-सदस्य उसकी शासकीय स्थिति से संबद्ध किसी विषय जिसमें अपील और पुनरीक्षण से संबंधित नियम के अन्तर्गत आने वाले विषय से भिन्न उसके व्यक्तिगत हित अन्तर्वलित हैं, की बाबत याचिकाएँ पेश कर सकेगा।

(2) प्रत्येक भर्ती किया गया ऐसा बल-सदस्य उसके व्यक्तिगत मामले से संबंधित अकेले ही याचिका पेश करेगा।

(3) किसी भी किस्म की चाहे जो भी मामला हो संयुक्त याचिकाओं पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसी याचिकाओं का पेश किया जाना अनुशासनहीनता का कार्य माना जाएगा।

(4) ऐसी याचिका उचित प्ररूप में होगी और उसकी शिष्टतापूर्ण होगी और अव्यवहित वरिष्ठ को पेश की जाएगी चाहे याची उस समय छुट्टी पर हो। इस नियम के उल्लंघन में पेश की गई याचिका संक्षिप्त रूप से अस्वीकृत कर दी जाएगी।

Scanned by CamScanner

(5) ऐसा अव्यवहित वरिष्ठ अपने अव्यवहित वरिष्ठ के माध्यम से उसके निपटान के लिए सक्षम प्राधिकारी को पेश करेगा। उससे वरिष्ठ कोई अधिकारी ऐसी याचिका को रोक सकेगा। यदि वह अविनीत भाषा में लिखी गई है या अन्यथा अनुचित रूप से लिखी गई है उस मामले में वह याची को लिखित रूप में सूचित करेगा कि उसकी याचिका रोक ली गई है।

(6) सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाने वाली पश्चात्‌वर्ती याचिका के साथ याची अपनी पूर्ववर्ती याचिका के संबंध में उस आदेश की एक प्रति अपनी याचिका के साथ भी संलग्न करेगा जो उसके अव्यवहित वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उसे संसूचित किया गया था।

57. अन्य उपायों (तरीकों) पर रोक -- पर्यवेक्षक अधिकारियों और भर्ती किए गए बल-सदस्यों को उनके दावों के लिए या कथित शिकायतों को दूर करने के लिए इन नियमों में तरीके से भिन्न किसी विहित प्रक्रिया को अपनाने के लिए निषिद्ध किया गया है उनकी ओर से ऐसे किसी अन्य तरीके के प्रयास को अनुशासनहीनता का कार्य समझा जाएगा।

अध्याय 12

प्रकीर्ण

58. त्याग-पत्र -- (1) नियुक्ति प्राधिकारी परिवीक्षा की अवधि के दौरान या उसके पश्चात्‌ किसी बल-सदस्य को ऐसी तारीख से जो उसके त्याग-पत्र को स्वीकार करने में विनिर्दिष्ट की जाए, उसके पद से पद त्याग करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा :

[1][परन्तु यह कि बल सदस्य जो दस वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण करने से पूर्व राज्य या केन्द्रीय सरकार के सीधे नियंत्रण से भिन्न संगठनों में पद ग्रहण करने के लिए त्यागपत्र या तकनीकी त्यागपत्र जिसके लिए काडर निर्बाधन दिए गए हैं, देता है से उसके त्यागपत्र या तकनीकी त्यागपत्र स्वीकृत किये जाने से पूर्व बल में उसको दी गई प्रशिक्षण की लागत लौटाने की या तीन मास के वेतन और भत्ते के समतुल्य राशि, जो भी अधिक हो, वापस करने की अपेक्षा की जाएगी।]

(2) बल के किसी ऐसे सदस्य के, जो विचारणाधीन है जिसका आचरण जाँच के अधीन है, पद त्याग करने से इंकार किया जा सकेगा।

59. सेवोन्मुक्त प्रमाण-पत्र -- जब कभी बल-सदस्य किसी भी कारण से ऐसा सदस्य नहीं रह जाता है, इन नियमों के अधीन संलग्न परिशिष्ट "घ" विनिर्दिष्ट प्ररूप में एक सेवोन्मुक्त प्रमाण पत्र उसको दिया जाएगा।

60. नियुक्ति प्रमाण पत्र का अभ्यर्पण -- प्रत्येक भर्ती किया गया बल-सदस्य जो बल का सदस्य नहीं रह गया है उसके नियुक्ति प्रमाण पत्र को उसके अव्यवहित वरिष्ठ को अभ्यर्पित करेगा जो उसके पश्चात्‌ कमांडेंट को प्रस्तुत करेगा।

---

1. सा.का.नि. [illegible] (... 2016 से प्रभावी)।

Scanned by CamScanner

61. निःशुल्क आवास सुविधा -- (1) सामान्यतः यह परिवचन कि जहाँ बल को तैनात किया गया है सभी पर्यवेक्षक अधिकारियों और 45 प्रतिशत वैवाहिक और 55 प्रतिशत अवैवाहिक या समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा यथासंशोधित भर्ती किए गए बल-सदस्यों को स्वयं नगरी में वास सुविधा का उपबंध किया जाएगा।

(2) भर्ती किए गए बल-सदस्यों को आवास सुविधा किराया मुक्त होगी किन्तु जहाँ ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं है, वे अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को यथा लागू उसके बदले मकान किराया भत्ता प्राप्त करेंगे।

(3) बल-सदस्यों को इस बाबत समय-समय पर सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुबंधनों के अनुसार वैवाहिक आवास सुविधा के बदले प्रतिकर भी प्राप्त करेंगे। प्रतिकर बल के सदस्यों की उस प्रतिशतता के लिए संदेय होगा जो बल के उन सदस्यों को घटाकर जो वैवाहिक आवास सुविधा के प्राप्त करने के हकदार हैं और जिन्हें परिवचन के द्वारा आवास सुविधा आवंटित की जाती है।

(4) बल के पर्यवेक्षक अधिकारी जिसको पब्लिक सेक्टर उपक्रम द्वारा वास सुविधा उपलब्ध कराई जाती है या संपदा निदेशालय द्वारा वास सुविधा आवंटित की जाती है उन दरों पर पब्लिक सेक्टर उपक्रमों को अनुज्ञप्ति फीस का संदाय करेगा जो यथास्थिति उनके अपने कर्मचारियों को लागू होती है या वह अनुज्ञप्ति फीस जो वास सुविधा के कुर्सी क्षेत्र के प्रतिनिर्देश से समय-समय पर साधारण पूल वास सुविधा के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की जाती है।

62. चिकित्सीय सुविधाएँ -- बल के सदस्य केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधा के हकदार होंगे और उन स्थानों में जहाँ ये सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं वहाँ वे केन्द्रीय सिविल सेवा (चिकित्सीय परिचारक) नियम, 1944 द्वारा शासित होंगे :

परन्तु यह कि जब उन्हें पब्लिक सेक्टर उपक्रम में अभिनियोजित किया जाता है :

(i) उस दशा में जहाँ ऐसे पब्लिक सेक्टर उपक्रम अपने कर्मचारियों को चिकित्सीय सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं, ऐसे बल-सदस्य ऐसी सुविधाओं को निःशुल्क प्राप्त करने के हकदार होंगे; और

(ii) यदि ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं तब ऐसे बल-सदस्यों के लिए केन्द्रीय सिविल सेवा (चिकित्सीय परिचारक) नियम, 1944 में यथा उपबंधित प्राधिकृत चिकित्सीय परिचारक की व्यवस्था होगी।

63. छुट्टी -- पर्यवेक्षक अधिकारी और [1][भर्ती किए गए बल-सदस्य] उन छुट्टी नियमों द्वारा शासित होंगे जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को लागू होते हैं इसके अलावा वे फील्ड फॉरमेशन की बाबत कैलेंडर वर्ष में 15 दिन की आकस्मिक छुट्टी के हकदार होंगे जहाँ एक दिन में विनिर्दिष्ट कार्यकरण के घंटे या कार्यकरण सप्ताह विहित नहीं है और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के बल मुख्यालय, सेक्टर मुख्यालय आदि जैसे स्टेटिक फार्मेशन में आकस्मिक छुट्टी की हकदारी गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन

1. सा.का.नि.

Scanned by CamScanner

संख्या 27012/6/98/पी.एफ. I/419, तारीख 7-7-2000 के अनुसार एक कैलेण्डर वर्ष में आठ दिन की होगी। छुट्टी का नियमितिकरण केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अधीन रहते हुए होगा।

64. **छुट्टी से पुनः बुलाना** -- पर्यवेक्षक अधिकारियों और भर्ती किए गए बल-सदस्य जो छुट्टी पर हैं उनकी छुट्टी मंजूर करने के लिए सशक्त प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय पुनः बुलाया जा सकेगा। वे या तो मुख्यालय पर ड्यूटी के लिए रिपोर्ट करने के लिए या उस स्थान के लिए जिस पर उनकी सेवाएँ अपेक्षित हैं सीधे रिपोर्ट करने के लिए निदेशित किए जा सकेंगे।

प्रत्येक दशा में पुनः बुलाने वाले प्राधिकारी के विवेकाधिकार से उनको दौरे पर जो यात्रा भत्ता मिलता है उसके लिए वापसी यात्रा के लिए (निकटतम मार्ग से) यात्रा भत्ता अनुज्ञात किया जा सकेगा।

65. **मुफ्त छुट्टी पास और छुट्टी यात्रा रियायत** -- (1) मुफ्त छुट्टी पास और छुट्टी यात्रा रियायत [1][निरीक्षक] की रैंक और उसके नीचे की रैंक के बल-सदस्य के लिए निम्नानुसार अनुज्ञेय होगा, अर्थात् --

(क) जब उसके कुटुम्ब से दूर रह रहे हों ड्यूटी के स्थानों से उनके गृह नगरों के निकटतम रेल स्टेशनों तक और वापसी के लिए प्रत्येक वर्ष एक मुफ्त छुट्टी पास जो दो वर्ष की ब्लाक अवधि में उनके कुटुम्ब के लिए छुट्टी यात्रा रियायत के अधीन रहते हुए होगा।

(ख) उस मामले में जहाँ वे उनके कुटुम्ब के साथ रह रहे हों और वे उनके कुटुम्ब के लिए भी छुट्टी यात्रा रियायत प्राप्त करना चाहता हों वहाँ दो वर्ष में एक बार केवल अपने लिए गृह नगर और वापसी के लिए मुफ्त छुट्टी पास और अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को लागू सामान्य छुट्टी यात्रा रियायत नियम के अधीन कुटुम्ब के सदस्यों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत (दो वर्ष की ब्लाक अवधि में एक बार) के लिए हकदार होंगे।

(ग) एक मास से अन्यून की अवधि की चिकित्सीय छुट्टी पर जाने पर मुफ्त छुट्टी पास बशर्ते कि यह प्रमाणित किया जाता है कि बीमारी या क्षति जिसके लिए चिकित्सीय छुट्टी की आवश्यकता हुई है बल-सदस्य की ओर से कोई दोष या उपेक्षा से नहीं ली गई है।

[2][(गक) बल-सदस्य के कुटुम्ब के किसी सदस्य की मृत्यु, गंभीर बीमारी या विवाह की दशा में, बल-सदस्यों को एक अतिरिक्त छुट्टी यात्रा रियायत अनुज्ञेय होगी। अतिरिक्त छुट्टी यात्रा रियायत केवल कर्तव्य के स्थान से गंतव्य तक की यात्रा के लिए ही सीमित होगी।]

1. सा.का.नि. 462(...)
2. सा...

Scanned by CamScanner

(घ) अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को यथा अनुज्ञेय भारत में किसी स्थान की यात्रा के लिए स्वयं और कुटुम्ब के सदस्यों के लिए चार वर्ष में एक बार छुट्टी यात्रा रियायत :

परन्तु यह कि खण्ड (घ) के अधीन अनुज्ञेय छुट्टी यात्रा रियायत खण्ड (क) के अधीन अनुज्ञेय मुफ्त छुट्टी पास और खण्ड (ख) के अधीन अनुज्ञेय छुट्टी यात्रा रियायत और मुफ्त छुट्टी पास के बदले में होगा।

(2) [1][पर्यवेक्षक अधिकारी और बल के सभी अभ्यावेशित सदस्य] उसी छुट्टी के लिए यात्रा रियायत के पात्र होंगे जिसके लिए इस निमित्त केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अनुसरण में अन्य केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी पात्र होते हैं।

66. **धनीय इनाम प्रदान करने की शक्ति** -- धनीय इनाम भर्ती किए गए बल-सदस्यों, अराजपत्रित सरकारी सेवकों, औद्योगिक उपक्रमों के कर्मचारियों और कर्मकारों और नियम 67, 68 और 69 के अनुसार जनता के सदस्यों को प्रदान की जा सकेगी।

67. **धनीय इनाम के लिए पात्रता** -- (1) धनीय इनाम केवल भर्ती किए गए बल-सदस्यों को ही निम्नलिखित के लिए प्रदान की जा सकेगी --

(क) विशेष साहस, कौशल या स्वप्रेरणा की अपेक्षा वाले उत्कृष्ट कार्य करने के लिए जैसे --

(i) अपराधी की गिरफ्तारी; या

(ii) अपराध या उससे संबद्ध बातों का पता लगाने की जानकारी को सुनिश्चित करने; या

(iii) असाधारण अच्छी जाँच करने; या

(iv) औद्योगिक उपक्रम के संरक्षण, संरक्षा और सुरक्षा के संबंध में अपराधी के साथ मुठभेड़;

(ख) कम उत्कृष्ट प्रकृति का कार्यकरण किन्तु जिसमें औद्योगिक उपक्रम के संरक्षण, संरक्षा और सुरक्षा में तात्विक सहायता किए जाने के लिए तत्परता, ईमानदारी और बुद्धिमत्तापूर्ण आदेश के अनुपालन और आज्ञानुपालन अपेक्षित हो;

(ग) औद्योगिक उपक्रम के संरक्षण, संरक्षा और सुरक्षा के संबंध में अतिरिक्त कठिन कार्य करना;

(घ) तीव्र बुद्धिमत्ता, निशानेबाजी, परिश्रमशीलता, औद्योगिक उपक्रमों के कर्मचारियों और कर्मकारों या उन व्यक्तियों का जो कारबार के संबंध में औद्योगिक उपक्रमों का दौरान करने या किसी अन्य प्रयोजन के लिए आते हैं उनके सराहनीय ध्यान रखने के लिए जो आपवादिक मामले में बल की दक्षता में वृद्धि करने के लिए संगणित की जाती है।

1. सा.का.नि

Scanned by CamScanner

नियम 68

(2) (i) प्रत्येक प्राइज के लिए एक हजार से अनधिक के मूल्य की पुस्तकों या वस्तुओं के रूप में भी धनीय इनाम प्रशिक्षणार्थियों के प्रत्येक बैच के लिए प्रशिक्षण के दौरान प्रवीणता के लिए भर्ती किए गए बल-सदस्यों को प्रदान की जा सकेंगी जो प्रशिक्षण कॉलेज या प्रशिक्षण केन्द्र से निकल कर जाते हैं जो नीचे विनिर्दिष्ट अनुसार होगी --

I प्राइज -- प्रथम रैंक की समग्र दक्षता के लिए;

II प्राइज -- द्वितीय रैंक की समग्र दक्षता के लिए;

III प्राइज -- परेड, मस्केटरी और स्पोर्ट्स में प्रवीणता के लिए;

(ii) धनीय इनाम अनुरोध पर प्रदान नहीं की जाएगी।

स्पष्टीकरण -- संदेह दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि किसी प्रशिक्षणार्थी को जिसके I प्राइज या II प्राइज प्रदान की गई है उसे III प्राइज भी प्रदान करना अनुज्ञेय होगा।

(3) धनीय इनाम अराजपत्रित सरकारी सेवकों, औद्योगिक उपक्रमों के कर्मचारियों और कर्मकारों और जनता के सदस्यों को निम्नलिखित में बल की सहायता करने के लिए प्रोत्साहन के रूप में प्रदान की जा सकेंगी :-

(i) किसी गंभीर मामले का पता लगाने में, या

(ii) किसी अपराधी के पकड़ने में, या

(iii) किसी अपराधी या किसी समाज विरोधी तत्व के प्रतिरोध करने में, या

(iv) किसी अन्य प्रयोजन के लिए जो औद्योगिक उपक्रमों के बेहतर संरक्षण, संरक्षा और सुरक्षा के लिए हो।

स्पष्टीकरण -- शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस नियम के प्रयोजनों के लिए --

(i) साधारण कल्याण कार्य धनीय इनाम के प्रदान करने के लिए आधार नहीं होगा।

(ii) धनीय इनाम अनुरोध पर प्रदान नहीं किए जाएंगे।

68. धनीय इनाम प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी -- (1) पर्यवेक्षक अधिकारी बल की बजट व्यवस्था के अध्यधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर यथा विहित नियम 67 के अधीन धनीय इनाम की प्रस्थापना और उन्हें प्रदान करने के लिए सशक्त हैं।

(2) नियम 67 के अधीन धनीय इनाम उसे प्रदान करने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदान की जाएगी यदि ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे उसकी यह राय है कि वह व्यक्ति इस निमित्त अपेक्षाओं को पूरा करता है।

(3) ऐसे धनीय इनाम प्रदान करने वाला आदेश उसके लिए कारणों और नियम 67 के उपबंध जिनके अधीन यह प्रदान की जाती है, उपदर्शित करेगा।

Scanned by CamScanner

69. औद्योगिक उपक्रमों के प्रबंध निदेशक द्वारा प्रस्थापित धनीय इनाम -- बल का पर्यवेक्षक अधिकारी नियम 67 के उपनियम (1) से संबंधित माने जा सकने वाले प्रयोजन के लिए किसी औद्योगिक उपक्रम के प्रबंध निदेशक द्वारा प्रस्थापित धनीय इनाम को ग्रहण करने के लिए भर्ती किए गए बल-सदस्यों को अनुज्ञात कर सकेगा।

70. "पद" की जोखिम/"पद" विशेष जोखिम के कारण होने वाले फायदे -- इन मामलों में, पर्यवेक्षक अधिकारी और भर्ती किए गए बल-सदस्य समय-समय पर यथा संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम द्वारा शासित होंगे।

71. अधिवर्षिता आदि -- पर्यवेक्षक अधिकारियों और भर्ती किए गए बल-सदस्यों की अधिवर्षिता पेंशन, भविष्य निधि और उपदान से संबंधित नियम वही होंगे जो केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को लागू होते हों।

72. स्थानान्तरण -- (1) बल-सदस्यों के स्थानान्तरण निम्नानुसार किए जा सकेंगे --

(i) पर्यवेक्षक अधिकारियों के महानिदेशक द्वारा;

[1][***]

(iii) जोन के भीतर एक एकक से दूसरे एकक में भर्ती किए गए बल-सदस्य का उस जोन के उप महानिरीक्षक द्वारा;

(iv) सेक्टर के भीतर एक एकक से दूसरे एकक में भर्ती किए गए बल-सदस्यों का उस सेक्टर के [2][महानिरीक्षक] द्वारा;

(v) संपूर्ण बल में एक एकक या जोन से दूसरे में भर्ती किए गए बल-सदस्य का बल मुख्यालय के [2][उप महानिरीक्षक] द्वारा।

(2) उपनियम (1) के सक्षम प्राधिकारी से वरिष्ठ प्राधिकारी उपनियम (1) के अधीन किए गए स्थानान्तरण के किसी आदेश को अंतरित, निष्प्रभावी, परिवर्तित या उपांतरित करने का आदेश कर सकेगा।

73. प्रभारों का संदाय -- ऐसे उपक्रम में अधिनियम की धारा 14 के अधीन पर्यवेक्षक अधिकारियों और भर्ती किए गए बल-सदस्यों की प्रतिनियुक्ति के लिए पब्लिक सेक्टर में औद्योगिक उपक्रम द्वारा संदेय प्रभार को ऐसी अवधि के लिए और ऐसी रीति में जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे, संदत्त किया जाएगा।

स्पष्टीकरण -- इन नियमों के प्रयोजन के लिए पब्लिक सेक्टर में किसी औद्योगिक उपक्रम द्वारा संदेय प्रभारों के अन्तर्गत निम्नलिखित होगा --

Scanned by CamScanner

(i) उस उपक्रम में तैनात अधिकारियों और भर्ती किए गए बल-सदस्यों को संदेय वेतन और भत्ते, छुट्टी वेतन अभिदाय और पेंशन अभिदाय;

(ii) वस्त्रों की लागत, उपस्कर परिवहन, आयुध और गोला-बारूद और ऐसे अधिकारियों और सदस्यों के कृत्यों के उचित निर्वहन के लिए अन्य आवश्यक साज-सज्जा; और

(iii) ऐसी राशि जो केन्द्रीय सरकार औद्योगिक उपक्रम में तैनात अधिकारियों, बल-सदस्यों की संख्या को ध्यान में रखते हुए और बल के मुख्यालय और अन्य स्थापनों के अनुरक्षण की लागत के संबंध में औद्योगिक उपक्रम द्वारा संदेय की जाने वाली आनुपातिक राशि जो समय-समय पर अवधारित की जाए।

74. कतिपय मामलों में नियमों का लागू न किया जाना -- (1) ये नियम संविदा पर लिए गए [1][***] बल-सदस्यों को लागू नहीं होगा, जो उनकी संविदा की शर्तों द्वारा शासित होंगे।

(2) इन नियमों की किसी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वे निम्नलिखित से राष्ट्रपति को रोकते हैं --

(क) बल में ऐसी किसी नियुक्ति करने से जो वह आवश्यक समझे; या

(ख) कोई आदेश पारित करने से या किसी अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा इन नियमों के अधीन पारित किसी आदेश के स्वप्रेरणा से या अन्यथा पुनरीक्षित करने से।

75. महानिदेशक की कमेंडेशन डिस्क की अवार्ड -- (1) महानिदेशक की कमेंडेशन [2][डिस्क] केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिक को निम्नलिखित आधार पर प्रदान की जाएगी :

(क) कार्य के दौरान सहज दृश्य उपलब्धि के लिए।

(ख) प्राकृतिक आपदाओं में प्रशंसनीय कार्य।

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए खेल-कूद में उत्कृष्ट उपलब्धि।

(घ) कोई नई खोज जो बल के कार्यकरण में महत्वपूर्ण सुधार ला सके।

(ङ) 15 वर्ष तक की सेवा के स्वच्छ और अच्छे अभिलेख।

(च) 20 वर्ष की लगातार अवधि तक दुर्घटनामुक्त वाहन चालन और अच्छे अभिलेख।

(छ) 12 सप्ताह के दौरान और उससे अधिक के सैन्य पाठ्यक्रम के "ए एक्स" ग्रेड दिए जाने के लिए।

1. सा.का.नि

Scanned by CamScanner

(ज) कठिन मामलों और प्रक्रिया में किन्हीं सहज दृश्य प्रयासों के लिए।

(झ) सहज दृश्य कार्य के लिए जो प्रशंसनीय प्रकृति का समझा जाए।

(ञ) कांस्टेबल से हैड कांस्टेबल के मामले में 20,000/- रुपये से अधिक और सहायक उपनिरीक्षक से निरीक्षकों के मामले में 50,000/- रुपये से अधिक और [1][राजपत्रित अधिकारियों] के मामले में 1,00,000/- रुपये से अधिक मूल्य की संपत्ति की वसूली। ऐसी वसूली की गई संपत्ति अदावाकृत प्रकृति की होनी चाहिए।

(ट) आतंकवादियों/अपराधियों के साथ निपटने में उत्कृष्ट कार्रवाई जिसके लिए शौर्य पदक की अवार्ड की अपेक्षा नहीं की जाती है।

(ठ) बल स्तर पर वृत्तिक पाठ्यक्रमों में प्रथम आना या अंतरबल स्तर पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रथम, द्वितीय या तृतीय स्थान प्राप्त करना।

(ड) कार्मिक जो किसी उत्कृष्ट कार्य के कारण बिना बारी के प्रोन्नत कर दिए गए हैं उन पर भी विचार किया जा सकता है।

(2) इस विषय पर विस्तृत अनुदेश केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से समय-समय पर पृथक रूप से जारी किए जाएंगे।

76. अनुसचिवीय कर्मचारिवृन्द -- अनुसचिवीय कर्मचारिवृन्द (सिविलियन) भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अधीन बनाए गए भर्ती नियमों द्वारा शासित होंगे।

77. सेवा की अन्य शर्तें -- बल के सदस्य सेवा की शर्तों के संबंध में सभी विषयों की बाबत जिनके लिए इन नियमों में कोई उपबंध नहीं है या अपर्याप्त उपबंध किए गए हैं, ऐसे विषयों की बाबत केन्द्रीय सरकार में तत्समान पद धारण करने वाले अधिकारियों को तत्समय लागू नियमों और आदेशों द्वारा शासित होंगे।

अध्याय 13

भर्ती किए गए बल-सदस्य द्वारा किए गए किसी अपराध और इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराधों की जाँच या विचारण के प्रयोजन के लिए मजिस्ट्रेट की शक्ति

78. मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ -- अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अपराधों की जाँच करने और विचारण के प्रयोजन के लिए और ऐसे अपराधों की ऐसी जाँच करने या विचारण से आनुषंगिक सभी विषयों की बाबत नियम 4 के उपनियम (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड

1. सा.का.नि [illegible]

Scanned by CamScanner

(iv) में यथावर्णित कमांडेंट या उसके समतुल्य रैंक धारण करने वाला प्रत्येक अधिकारी प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करेगा।

79. न्यायिक विचारण -- अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट किसी अपराध के संबंध में सभी विचारण दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) के उपबंधों के अनुसार किए जाएंगे।

80. मजिस्ट्रेट -- इस अध्याय के प्रयोजन के लिए "मजिस्ट्रेट" से ऐसा कमांडेंट अभिप्रेत है जिसको अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (2)(क) के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं।

81. कमांडेंट के समक्ष कार्यवाहियों में प्रयोग की जाने वाली भाषा -- अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध की जाँच करने या विचारण करने के लिए मजिस्ट्रेट की शक्तियों का प्रयोग करते समय कमांडेंट द्वारा या तो अंग्रेजी या हिन्दी का प्रयोग किया जा सकेगा।

82. मजिस्ट्रेट द्वारा भर्ती किए गए बल-सदस्यों का विचारण न किया जाना -- जहाँ भर्ती किया गया बल-सदस्य मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है और अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपराध से आरोपित किया जाता है जिसके लिए वह विचारण किए जाने का दायी है वहाँ ऐसा मजिस्ट्रेट उस अपराध की जाँच या विचारण की कार्यवाही तब तक नहीं करेगा जब तक कि --

(क) ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे उसकी यह राय है कि उसे एकक कमांडेंट द्वारा उसके पास भेजे जाने बिना इस प्रकार कार्यवाही नहीं करनी चाहिए; या -

(ख) एकक कमांडेंट द्वारा उसके पास नहीं भेजा जाता है।

83. मजिस्ट्रेट द्वारा सूचना का दिया जाना -- नियम 82 के खण्ड (क) के अधीन कार्यवाही से पूर्व मजिस्ट्रेट एकक कमांडेंट को लिखित सूचना देगा और ऐसी सूचना की तामील की तारीख से 21 दिन की अवधि समाप्ति तक वह :

(क) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 252, धारा 255(1) और (2), धारा 256 या धारा 257 के अधीन अभियुक्त को दोषसिद्ध या दोषमुक्त नहीं करेगा या उक्त संहिता की धारा 254 के अधीन प्रतिरक्षा में उसको नहीं सुनेगा; या

(ख) उक्त संहिता की धारा 238 या धारा 246(1) के अधीन अभियुक्त के विरुद्ध किसी आरोप की लिखित रूप में विरचना नहीं करेगा; या

(ग) उक्त संहिता की धारा 193 के अधीन सेशन न्यायालय द्वारा विचारण के लिए अभियुक्त को सुपुर्द करने का कोई आदेश नहीं करेगा; या

(घ) उक्त संहिता की धारा 192 के अधीन जाँच या विचारण के लिए मामले को अंतरित नहीं करेगा।

Scanned by CamScanner

84. अभियुक्त के विचारण के संबंध में मजिस्ट्रेट को सूचित किया जाना -- (1) जब किसी अभियुक्त व्यक्ति को मजिस्ट्रेट द्वारा भेज दिया गया हो तब एकक कमांडर मजिस्ट्रेट को यथाशीघ्र सूचित करेगा कि क्या अभियुक्त का उसके द्वारा विचारण किया जा चुका है या अभियुक्त के विरुद्ध कार्यवाही किए जाने के लिए आदेशित कोई अन्य शासकीय कार्यवाही की जा चुकी है या नहीं।

(2) जब मजिस्ट्रेट को उपनियम (1) के अधीन सूचना दे दी गई है कि अभियुक्त पर विचारण नहीं किया गया है या कोई शासकीय कार्यवाही नहीं की गई है अथवा उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए आदेशित किया गया है तब मजिस्ट्रेट केन्द्रीय सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए कि अभियुक्त व्यक्ति के विरुद्ध विधि के अनुसार संव्यवहार किया गया है समुचित कदम उठाने के लिए परिस्थितियों की रिपोर्ट करेगा।

85. कमांडर द्वारा अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के पास भेजा जाना -- जहाँ भर्ती किए गए किसी बल-सदस्य ने ऐसा अपराध किया है जिसका एकक कमांडर की राय में बल में विधि के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण किया जाना है वहाँ एकक कमांडर संबद्ध मजिस्ट्रेट को लिखित सूचना देने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति को उचित अनुरक्षक के अधीन मजिस्ट्रेट के पास भेजेगा।

86. कारावास की रीति -- अधिनियम के अधीन कारावास से दंडादिष्ट भर्ती किए गए किसी बल-सदस्य को निकटतम कारागार में परिरुद्ध किया जाएगा :

परन्तु यह कि यदि कारावास एक मास या उससे कम के लिए है या जहाँ एकक कमांडर का यह समाधान हो जाता है कि निकटतम कारागार के लिए कारावास से दंडित भर्ती किए गए बल-सदस्य के परिवहन और अनुरक्षण की कठिनाई के कारण ऐसा वांछनीय हो जाता है तब ऐसे व्यक्ति को बल के क्वार्टर गार्ड में परिरुद्ध किया जाएगा।

87. बल अभिरक्षा -- (1) जहाँ एकक कमांडर की यह राय है कि भर्ती किए गए किसी बल सदस्य ने कोई अपराध किया है और उसका विचारण ऐसे कमांडेंट द्वारा किया जाना चाहिए जिसमें धारा 18(2क) के अधीन मजिस्ट्रेट की शक्तियाँ निहित हैं वहाँ ऐसे कमांडेंट के लिए उप महानिरीक्षक के पूर्व अनुमोदन से भर्ती किए गए बल-सदस्य को बल की अभिरक्षा में लिए जाने और या तो बंद, गिरफ्तारी में या खुली गिरफ्तारी में रखे जाने के लिए, आरोप की गंभीरता और उपस्थित परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए समय-समय पर जैसा वह ठीक समझे आदेश करना न्यायपूर्ण होगा :

परन्तु यह है कि कोई भर्ती किया गया बल-सदस्य कमांडेंट/मजिस्ट्रेट द्वारा विचारण संयोजित किए जाने बिना या अधिनियम की धारा 8 से अधिक उसे दण्ड किए जाने बिना 8 दिन से अधिक की अवधि के लिए बल की अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं किया जाएगा।

(2) प्रत्येक एकक या समूह में उप निरीक्षक द्वारा जैसा आवश्यक समझा जाए एक या अधिक परिरोध के स्थान होंगे जहाँ गिरफ्तार किए गए भर्ती किए गए बल-सदस्य को परिरुद्ध किया जाएगा ऐसे

Scanned by CamScanner

स्थान एकक के कमांडेंट, उप कमांडेंट या सहायक कमांडेंट के पर्यवेक्षण के अधीन होंगे जो उसके अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होंगे।

(3) यदि कोई भर्ती किया गया बल-सदस्य बल की अभिरक्षा से निकलकर भागता है या छुड़ा लिया जाता है तब वह बल-सदस्य जिसकी अभिरक्षा से वह निकल कर भागा था या छुड़ाया गया था निकलकर भागने या छुड़ाए जाने की रिपोर्ट पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को करेगा और तुरन्त ऐसे भर्ती किए गए बल-सदस्य का भारत में किसी स्थान में पीछा कर सकेगा और गिरफ्तार कर सकेगा।

88. दण्डादेश की प्रख्यापना -- मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए दण्डादेश को उसके सुनाए जाने के पश्चात् सर्वप्रथम अवसर पर प्रख्यापित किया जाएगा और अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रख्यापना के पश्चात् बिना विलंब के कार्यान्वित किया जाएगा।

89. कार्यवाहियों का पारेषण -- (1) प्रत्येक मजिस्ट्रेट की कार्यवाही उप महानिरीक्षक को उसकी सूचना के लिए बिना विलंब अग्रेषित की जाएगी जिसकी कमान के भीतर विचारण किया गया था।

90. अपील -- इस अध्याय के अधीन किसी मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए विचारण पर सिद्धदोष ठहराया गया कोई सेशन न्यायालय को अपील कर सकेगा। दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के वे उपबंध जो उस संहिता में अपील से संबंधित हैं इस नियम के अधीन अपीलों को लागू होंगे।

अध्याय 14

91. प्राइवेट सेक्टर में औद्योगिक स्थापनों को तकनीकी परामर्शी सेवाएँ -- (क) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, केन्द्रीय/राज्य सरकारी विभागों, पब्लिक, संयुक्त, प्राइवेट सेक्टर, स्वायत्त निकायों में औद्योगिक स्थापनों को या सरकार द्वारा अनुमोदित किसी अन्य संस्था को तकनीकी परामर्शी सेवाएँ प्रदान कर सकेगा जिसके अन्तर्गत निम्नलिखित सेवाएँ होंगी :

(i) औद्योगिक सुरक्षा और अग्नि परित्राण से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करना और उचित हल का सुझाव देना।

(ii) प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से, जो केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल प्रशिक्षण संस्थाओं पर या मुवक्किल के औद्योगिक स्थापनों या किसी अन्य स्थान जो महानिदेशक द्वारा ठीक समझा जाए, पर संचालित किए जा सकेंगे, परामर्श लेने वाले (जिसे इसमें इसके पश्चात् मुवक्किल कहा गया है) या उसके कर्मचारियों को औद्योगिक सुरक्षा और अग्नि परित्राण के क्षेत्र में ज्ञान और कौशल प्रदान करना।

(iii) औद्योगिक संरक्षा, सुरक्षा और अग्नि परित्राण के क्षेत्रों में प्रशिक्षण और प्रमाणन पाठ्यक्रम को संचालित करना और उसके लिए विहित फीस प्रभारित करना। ऐसे विभिन्न पाठ्यक्रमों की फीस महानिदेशक द्वारा अवधारित की जाएगी।

Scanned by CamScanner

(iv) मुवक्किल के लिए औद्योगिक और अग्नि परित्राण स्कीमों के उपायों, नियंत्रणों और प्रणाली की योजना तैयार करने, डिजाइन करने और प्रभावशील करना।

(v) सुझाए गए उपायों, नियंत्रणों और प्रणालियों के कार्यकरण की मॉनीटरी के पश्चात् फीड बैक की व्यवस्था करना।

(vi) संसूचना नेटवर्क की योजना तैयार करना और उसकी डिजाइन करना और संबंधित प्रचालन अनुदेशों को विरचित करना।

(vii) औद्योगिक सुरक्षा और अग्नि परित्राण से संबंधित अनुदेशों, मानक अनुदेशों और मानक प्रचालन प्रक्रियाओं का प्रारूप तैयार करना।

(viii) आपदा प्रबंध और आकस्मिक योजना तैयार करना और ऐसी योजनाओं के पूर्व अभ्यासों का पर्यवेक्षण या संचालन।

(ix) औद्योगिक सुरक्षा, औद्योगिक संरक्षा या अग्नि संरक्षा के क्षेत्र में लेखा परीक्षा कराना।

(x) औद्योगिक सुरक्षा, औद्योगिक संरक्षा और अग्नि परित्राण के क्षेत्र में उनसे संबंधित विषयों में स्वतंत्र रूप से या मुवक्किलों और/या अन्य प्रतिष्ठित अभिकरणों के सहयोग से अनुसंधान और सुधार क्रियाकलापों को आरंभ करना।

(ख) प्रायवेट सेक्टर में किसी औद्योगिक स्थापन के प्रबंध निदेशक से या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति से अनुरोध की प्राप्ति पर केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए किन्हीं साधारण निदेशनों के अधीन रहते हुए अनुरोध की जाँच के पश्चात् महानिदेशक यदि यह उचित समझता है तो प्रबंध निदेशक या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को तकनीकी परामर्शी सेवाएँ प्रदान करने के निबंधनों और शर्तों को अग्रेषित कर सकेगा और तकनीकी परामर्शी सेवाओं के लिए विहित फीस भेजने के लिए कह सकेगा।

(ग) प्रायवेट सेक्टर में किसी औद्योगिक स्थापन के प्रबंध निदेशक से विहित फीस भेजे जाने पर महानिदेशक बल के किसी अधिकारी को नाम निर्देशित कर सकेगा या नियम 91 (क) के उपनियम (i) से (x) में वर्णित किसी विशेष संबंधित संबद्ध औद्योगिक स्थापन की तकनीकी अध्ययन करने के लिए अधिकारियों के एक दल का गठन कर सकेगा।

(घ) महानिदेशक यदि यह उचित समझता है और यदि चाही गई परामर्शी की प्रकृति ऐसी अपेक्षा करती है तो उस क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाले किसी व्यक्ति को भी उपनियम (ग) के अधीन गठित दल के साथ सहयोजित कर सकेगा जिसकी विशेषज्ञता बल के सदस्यों के साथ उपलब्ध नहीं है।

(ङ) नियम (घ) के उपबंधों के अधीन दल के साथ सहयोजित विशेषज्ञ व्यक्ति को उसकी विशेषज्ञता, कालावधि के अनुसार योगदान, सेवाओं और निश्चित परिस्थितियों में ऐसे विशेषज्ञों की उपलब्धता की स्थिति पर विचार करके ऐसी राशि संदत्त की जाएगी जो उचित समझी जाए।

Scanned by CamScanner

(च) उपधारा (ग) के अधीन महानिदेशक द्वारा इस प्रकार नामनिर्दिष्ट अधिकारी या इस प्रकार गठित बल ऐसे अध्ययन करने के पश्चात् जो वह उचित समझे एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे महानिदेशक को भेजेगा। बल के महानिदेशक के सम्यक् अनुमोदन के पश्चात् इस प्रकार तैयार की गई परामर्शी रिपोर्ट प्रायवेट सेक्टर में संबद्ध स्थापन के प्रबंध निदेशक को या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को संसूचित की जाएगी।

(छ) मुवक्किल स्थापन के लिए इस प्रकार तैयार की गई परामर्शी रिपोर्ट स्थापन की संपत्ति होगी और ऐसी रिपोर्ट बल के किसी सदस्य द्वारा या परामर्शी बोर्ड के साथ सहयोजित ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्तिगत फायदे के लिए उपयोग में नहीं लाई जाएगी तथापि ऐसी रिपोर्ट शैक्षणिक प्रयोजनों के लिए उपयोग की जा सकती है।

(ज) **परामर्शी फीस --** परामर्शी फीस प्रायवेट सेक्टर में औद्योगिक स्थापनों में समय-समय पर यथा विहित प्रभारित की जाएगी।

[1][**91क. चिकित्सीय अयोग्यता के आधार पर राजपत्रित अधिकारियों की सेवानिवृत्ति/उन्मोचन --** (1) जहाँ उप महानिरीक्षक से अनिम्न पंक्ति के किसी अधिकारी का यह मानना है कि बल का कोई अधिकारी उसकी चिकित्सीय अयोग्यता के कारण उसके कर्त्तव्यों का पालन करने के अयोग्य है तो वह अधिकारी चिकित्सा बोर्ड के समक्ष लाया जाएगा।

(2) चिकित्सा बोर्ड ऐसे अधिकारियों से मिलकर बनेगा और ऐसी रीति में गठित किया जाएगा जो महानिदेशक द्वारा समय-समय पर अधिकथित की जाए।

(3) जहाँ चिकित्सा बोर्ड का मानना है कि अधिकारी केन्द्रीय सरकार की सेवा के लिये अयोग्य है तो चिकित्सा बोर्ड के निष्कर्ष उक्त अधिकारी को संसूचित किये जाएंगे और तब, ऐसी संसूचना के पन्द्रह दिनों की कालावधि के भीतर, अधिकारी उसके विरुद्ध केन्द्रीय सरकार को अभ्यावेदन कर सकेगा।

(4) केन्द्रीय सरकार, अधिकारी से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर, इस प्रयोजनार्थ गठित नये चिकित्सा बोर्ड द्वारा पुनर्विलोकित किये जाने हेतु मामला निर्दिष्ट कर सकेगी और यदि नये चिकित्सा बोर्ड का विनिश्चय उसके प्रतिकूल है तो उक्त अधिकारी की सेवानिवृत्ति का आदेश कर सकेगी।

91ख. चिकित्सीय अयोग्यता के आधार पर भर्ती किये गए बल-सदस्य की सेवानिवृत्ति -- (1) जहाँ किसी कमांडेंट का यह समाधान हो जाता है कि भर्ती किया गया

Scanned by CamScanner

कोई बल-सदस्य उसकी चिकित्सीय अयोग्यता के कारण उसके कर्त्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है तो वह निदेशित कर सकेगा कि उक्त भर्ती किया गया बल-सदस्य चिकित्सा बोर्ड के समक्ष लाया जाए।

(2) चिकित्सा बोर्ड ऐसी रीति में गठित किया जाएगा जो महानिदेशक द्वारा अवधारित की जाए।

(3) जहाँ उक्त भर्ती किया गया बल-सदस्य चिकित्सा बोर्ड द्वारा बल में आगे सेवा के लिये अयोग्य पाया जाए तो महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक या यथास्थिति, कमांडेंट, यदि वह चिकित्सा बोर्ड के निष्कर्षों से सहमत हो तो भर्ती किये गये बल-सदस्य की सेवानिवृत्ति का आदेश कर सकेगा :

परन्तु यह कि उक्त भर्ती किये गये सदस्य को इस प्रकार सेवानिवृत्त किये जाने के पूर्व चिकित्सा बोर्ड के निष्कर्ष एवं उसे सेवानिवृत्त किये जाने का विनिश्चय उसे संसूचित किया जाएगा।

(4) भर्ती किया गया सदस्य, ऐसी संसूचना की प्राप्ति की तारीख से पन्द्रह दिनों की कालावधि के भीतर, उस अधिकारी को अभ्यावेदन कर सकेगा जो सेवानिवृत्ति का आदेश देने वाले से निकटतम वरिष्ठ पंक्ति का हो।

(5) उक्त वरिष्ठ अधिकारी, पुनर्विलोकन चिकित्सा बोर्ड जो ऐसी रीति में गठित की जाएगी जो महानिदेशक द्वारा अवधारित की जाए, को मामला निर्दिष्ट करेगा।

(6) वरिष्ठ अधिकारी पुनर्विलोकन चिकित्सा बोर्ड के निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह ठीक समझे।

(7) जहाँ उपनियम (4) के अधीन वरिष्ठ अधिकारी को अभ्यावेदन किया गया हो तो उपनियम (3) के अधीन पारित कोई आदेश प्रभावशील नहीं होगा जब तक कि ऐसे वरिष्ठ अधिकारी द्वारा पुष्टि न हो जाए।]

92. निरसन और व्यावृत्ति -- (1) केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल नियम, 1969 निरसित किए जाते हैं।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त नियमों के अधीन ऐसी कोई बात या ऐसी कोई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

Scanned by CamScanner